MMRC

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

वार्षिक विवरण

२०१६.२०१७

rporation
Project Salient Features
Why Metro - 3 ?
bai Metro Line - 3
- Bandra - SEEPZ)
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
Green city clean city
My dream city...
CSIA T2

MMRC

MMRC
Mumbai Metro Rail Corporation Limited
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)
jica
Japan International Cooperation Agency
Signing of Contract Agreements
of Civil Work Packages Covering
33.5 km of Tunnelling and
26 Underground Stations of Line 3
(Colaba - Bandra - SEEPZ)

Mumbai Metro Rail Corporation Limited
MMRC
Mr. Ramesh Sharma

MMRC
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
Cooperation Agency

MMRC
maple
TATA
TATA PROJECTS

AV9640

JSS
30

GMAX II

MMRC
Colaba-Bandra-SEEPZ
Metro-3
Connecting the Unconnected
Standard Chartered
83396
85347
85346
85354
84163

Colaba-Bandra-SEEPZ
Metro-3
Mumbai Metro Rail Corporation Limited
Colaba-Bandra-SEEPZ
Metro-3
Mumbai's Future Transport

अनुक्रमणिका

1.	निदेशक मंडल	2
2.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	3
3.	अध्यक्षीय भाषण	15
4.	निदेशक रिपोर्ट	19
5.	स्वतंत्र सचिवालय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	30
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	33
7.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	52
8.	31 मार्च 2017 तक का तुलन पत्र	63
9.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	65
10.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	67
11.	वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार	69
12.	प्रोक्सी फॉर्म	99

निदेशक मंडल

श्री राजीव गौबा	अध्यक्ष, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित तथा सचिव-शहर विकास मंत्रालय, भारत सरकार [23.06.2017 तक]
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित तथा सचिव-शहर विकास मंत्रालय, भारत सरकार [23.06.2017 तक]
श्रीमती. अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्रीमती. झांजा त्रिपाठी	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
श्री एम. के. सिन्हा	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं ओडी.एस.. केंद्र शासित प्रदेश शहरी विकास मंत्रालय तथा पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार
श्री ए.के.गुप्ता	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं विद्युत निदेशक, भारत सरकार
श्री के. के. अग्रवाल	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित तथा मंडल रेलवे प्रबन्धक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे, भारत सरकार
श्री यु.पि.एस. मदान	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं महानगर आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री अजोय मेहता	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं ग्रेटर मुंबई नगरपालिका
डॉ नितिन करीर	निदेशक, मुंबईमेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं प्रधान सचिव शहरी विकास1,महाराष्ट्र सरकार
श्री डी. के. जैन	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित तथा अपर मुख्य सचिव वित्त, भारत सरकार
श्री एस.के गुप्ता	निदेशक (परियोजना), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्री ए.ए.भट	निदेशक (प्रणाली), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्री ए. खंडेलवाल	निदेशक (वित्त), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्री राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्री आदित्य पी मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

कंपनी सचिव

कुमारी रितु देब

सांविधिक लेखापरीक्षक

मै. आर एस वी ए & कं.
सनदी लेखाकार,
ब्लॉक -1, तीसरा तल,
खैतान चेंबर,
143-145 मोदी स्ट्रीट,फोर्ट
मुंबई – 400 001

सचिवालय लेखापरीक्षक

डी.ए.कामत & कं.
ए/308, रॉयल सैंडस,
शास्त्री नगर, फेम एडलब के पीछे,
न्यू लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम),मुंबई – 400 053

बैंकर

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. एच डी एफ सी बैंक
3. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
4. आई सी आई सी आई बैंक

<u>पंजीकृत कार्यालय</u>

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

(भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)

एम एम आर डी ए बिल्डिंग, प्लॉट नं 14-15, बी के सी, बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051

सूचना

सूचना दी जाती है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के सदस्यों की 9 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 23 सितम्बर 2017 को शनिवार को प्रातः 11.45 बजे नई एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, 9वां तल, कमेटी कक्ष, नई एक एक आर डी ए बिलिडिंग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श हेतु की जाएगी:

सामान्य कार्य:

1) 31 मार्च 2017 तक की लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्राप्ति, विचार विमर्श एवं ग्रहण और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शामिल करते लाभ व हानि विवरण पर विचार करना।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 तथा धारा 139(5) के प्रावधान के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक नियत करने के लिए कंपनी के निदेशक बोर्ड को प्राधिकृत करना

विशेष कार्य :

3) **<u>श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, आई. ए. एस. की कंपनी निदेशक के पद पर नियुक्ति</u>**

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो, बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

"यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा अन्य प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2013 को जारी पत्र सं K-14011/36/2009 MRTS-II(Vol III)तथा दिनांक 29 जून 2017 के पत्र संख्या 14011/17/2017/MRTS-Coord, इस संबंध में जो भी उचित हो तथा इससे संबन्धित अपेक्षित सभी

सांविधिक अनुमोदन के अनुसार **श्री दुर्गेश शंकर मिश्रा, आई. ए. एस. निदेशक पहचान सं 02944212** 23 जून 2017 से जब तक भारत सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।"

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, उपरोक्त नियुक्ति की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचना देने हेतु ई फॉर्म फाइल करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक बोर्ड तथा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है ।

4) <u>श्री अबोध खंडेलवाल की कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति</u>

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो,बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा अन्य प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2013 को जारी पत्र सं K-14011/36/2009 MRTS-II(Vol III)तथा दिनांक 29 जून 2017 के पत्र संख्या 14011/17/2017/MRTS-Coord, इस संबंध में जो भी उचित हो तथा इससे संबन्धित अपेक्षित सभी सांविधिक अनुमोदन के अनुसार **श्री दुर्गेश शंकर मिश्रा, आई. ए. एस. निदेशक पहचान सं 02944212** 23 जून 2017 से जब तक भारत सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।"

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, उपरोक्त नियुक्ति की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचना देने हेतु ई फॉर्म फाइल करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक बोर्ड तथा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है ।

5) <u>श्री अबोध खंडेलवाल की कंपनी के प्रयोजनमूलक निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्ति</u>

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो,बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

"यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197 के प्रावधानों व अन्य उचित प्रावधानों तथा (कोई सांविधिक बदलाव या समय समय पर पुनः अधिनियमित को शामिल करते हुए) कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिक के नियुक्ति तथ पारिश्रमिक) तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V तथा केंद्र सरकार से अपेक्षित अनुमोदन के तहत, यदि

कोई अपेकित हो, तथा कंपनी के ज्ञापन एवं संघ के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत तथा इस संबंध में अपेक्षित अन्य कोई सांविधिक अनुमोदन के अनुसार, सदस्यों की सहमति से कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्त **श्री अबोध खंडेलवाल (निदेशक पहचान सं 07807394) की दिनांक 29 मार्च 2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के प्रयोजनमुल्क निदेशक के पद पर नियुक्ति की जाती है।** श्री अबोध खंडेलवाल (निदेशक पहचान संख्या 07807394), प्रयोजनमूलक निदेशक (वित्त) को दिनांक 29 मार्च 2017 के प्रभावी तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए नियम और शर्तों पर विनिर्दिष्ट वक्तव्य में निदेशक मंडल को स्वतंत्रता और शक्ति के साथ किसी भी वित्तीय वर्ष में हानि या मुनाफे की अपर्याप्तता की स्थिति में भुगतान करने के लिए पारिश्रमिक सहित इस बैठक का आयोजन करने वाली सूचना के साथ संलग्न किया गया है (जिसे बाद में 'बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया है, जो बोर्ड के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति, यदि कोई हो, के अभिव्यक्ति में शामिल होगा) अपने विवेक के प्रयोग में, वृद्धि को मंजूरी देनी और समय-समय पर नियुक्ति की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी भी सांविधिक संशोधनों (एस) या उसके पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुसूची v के तहत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर कंपनी के निदेशक के रुप में नामित किया गया है।

यह संकल्प लिया जाता है कि, श्री अबोध खंडेलवाल को नुकसान या लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में देय न्यूनतम पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V की धारा II भाग II में विनिर्देशों के अनुसार होगा।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, उपरोक्त नियुक्ति की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचना देने हेतु ई फॉर्म फाइल करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक बोर्ड तथा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है ।

(6) श्री के के अग्रवाल की कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो,बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा अन्य प्रावधानों तथा नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/09/2016 को जारी पत्र सं K-14011/12/2014 MRTS-II(Vol III)तथा दिनांक 29 जून 2017 के पत्र संख्या 14011/17/2017/MRTS-Coord, इस संबंध में जो भी उचित हो तथा इससे संबन्धित अपेक्षित सभी सांविधिक अनुमोदन के अनुसार **श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (निर्माण योजना)**

निदेशक पहचान संख्या 06589365 30 नवम्बर 2016 से जब तक भारत सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।"

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, उपरोक्त नियुक्ति की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचना देने हेतु ई फॉर्म फाइल करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक बोर्ड तथा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है ।

(7) श्री राहुल मिश्रा, आई ए एस (सेवानिवृत) की कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो,बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 तथा कंपनी नियमावली 2014(निदेशक की नियुक्ति एवं अर्हता) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों के अनुसार, **श्री राहुल मिश्रा आई. ए. एस.(सेवानिवृत) निदेशक पहचान सं 00234247** 8 सितम्बर 2016 से 5 वर्षों के लिए जब तक भारत सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।"

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, उपरोक्त नियुक्ति की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचना देने हेतु ई फॉर्म फाइल करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक बोर्ड तथा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है ।

(8) श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा की कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो,बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना :

यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 तथा कंपनी नियमावली 2014(निदेशक की नियुक्ति एवं अर्हता) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों के अनुसार, **श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा , निदेशक पहचान सं 03319240** 8 सितम्बर 2016 से 5 वर्षों के लिए जब तक भारत सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।"

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, उपरोक्त नियुक्ति की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सूचना देने हेतु ई फॉर्म फाइल करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक बोर्ड तथा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है ।

मण्डल के निदेशानुसार

स्थान: मुंबई

तिथि: 24 जुलाई 2017

हस्ता/-

कंपनी सचिव

नोट्स:

क) **उपस्थिती एवं मतदान हेतु हकदारित सदस्य उसके स्थान पर उपस्थिती व मतदान हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदारित किया जाता है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधान के अनुपालन में, एक व्यक्ति, अधिकतम 50 सदस्यों के लिए तथा कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व न होने पर, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व रखने वाले सदस्य एक अकेले व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो किसी अन्य सदस्य के प्रतिनिधि का कार्य नहीं करेगा। प्रभावपूर्ण करने के लिए, प्रतिनिधि का दस्तावेज़, बैठक की शुरुआत से अधिकतम 48 घंटे पहले, पूरी तरह भरा हुआ एवं हस्ताक्षर किया हुआ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा। इस रिपोर्ट के साथ प्रतिनिधि(प्रोक्सी) फॉर्म संलग्न है। मर्यादित कंपनियों, सोसाइटी इत्यादि के लिए प्रतिनिधि हेतु निवेदन उचित संलकप/प्राधिकार, जो लागू हो, के साथ लगा हुआ होना चाहिए।

ख) सदस्यों/प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थिती हेतु इसके साथ संलग्न उपस्थिती स्लिप पूरी तरह भरी हुई लाएँ।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में, वार्षिक सामान्य बैठक में विशेष व्यवसाय के कार्य सम्पादन के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

घ) जब तक वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हो जाती तब तक, कंपनी के शेयरधारकों के निरीक्षण हेतु कंपनी के संघ के ज्ञापन एवं अनुच्छेद सभी कार्य दिवसों में 11.00 बजे से 3.00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

(ङ) वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान का नक्शा वार्षिक सामान्य बैठक नोटिस के साथ संलग्न है।

नोटिस का व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुपालन में)

<u>मद संख्या 3:</u>

श्री राजीव गौबा,आइ ए एस के साथन पर दिनांक 23 जून 2017 से श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, आई ए एस, गृह एवं नगर कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या F. No. K-14011/36/2009/MRTS-II (Vol-III) दिनांक 31/0, 7/2013 तथा 14011/17/2017/MRTS-Coord दिनांक 29/06/2017 के अनुपालन में, निदेशक बोर्ड ने श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति दिनांक 23 जून 2017 से कंपनी के मनोनीत निदेशक के पद पर की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के अनुपालन में, उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा आई.ए.एस. गृह एवं नगर कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

अन्य निदेशकों तथा श्री दुर्गा शंकर मिश्रा में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा आई.ए.एस. गृह एवं नगर कार्य मंत्रालय, भारत सरकार किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबंद्ध नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 4 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है ।

<u>मद संख्या 4 और 5</u>

<u>बोर्ड ने इसकी 31वीं बैठक में संकल्प संख्या</u> 187(31)/14-15 द्वारा प्रयोजनमूलक निदेशक के पदों की सृजन की मंजूरी दी है। बोर्ड ने संकल्प संख्या 294(40)/16-17 द्वारा सचिव सहित निदेशक (वित्त), एम ओ यू डी, अध्यक्ष, एम एम आर सी एल, मेट्रोपॉलिटन आयुक्त, एम एम आर डी ए एवं निदेशक, एम एम आर सी एल, प्रबंध निदेशक, एम एम आर सी एल, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार तथा निदेशक, एम एम आर सी एल, श्रीमती झांजा त्रिपाठी, निदेशक, एम एम आर सी एल के पदों के लिए चयन समिति के गठन की मंजूरी दी है।

तदनुसार, अध्यक्ष एम एम आर सी एल की अध्यक्षता में चयन समिति ने 29 नवम्बर 2016 को प्रतिभागियों से साक्षात्कार किया था। अपेक्षित मापदंड पर प्रतिभागियों के मूल्यांकन के आधार पर चयन समिति ने श्री अबोध खंडेलवाल, की निदेशक पद पर आ डी ए वेतन मान रु 75000-100000/- में नियुक्ति की है।

तदनुसार, श्री अबोध खंडेलवाल दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को निदेशक बोर्ड में अपर निदेशक तथा दिनांक 28 अप्रैल 2017 से प्रभावी निदेशक मण्डल में प्रयोजनमूलक निदेशक(वित्त) के के पद पर नियुक्त किए गए थे तथा वार्षिक सामान्य बैठक के निष्कर्ष की तिथि तक कार्यालय में कार्यरत हैं।

इसके अलावा धारा 196 तथा 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए आगामी सामान्य बैठक में शेयरधरकों की मंजूरी की आवश्यकता है। शेयरधारकों के उक्त नियुक्ति की मंजूरी हेतु विनती है। वेतन एवं दैनिक भत्ता आई डी ए वेतन मान के अनुसार होगा। अन्य भत्ते, वेतन इत्यादि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानव प्रबंधन नीति के अनुसार हैं। बोर्ड द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदन हेतु अपेक्षित है।

नियुक्ति, यदि अनुमोदित होती है तो दिनांक 28 अप्रैल 2017 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। श्री अबोध खंडेलवाल को नुकसान या लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में देय न्यूनतम पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V की धारा II भाग II में विनिर्देशों के अनुसार होगा।

अन्य निदेशकों तथा श्री दुर्गा शंकर मिश्रा में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री अबोध खंडेलवाल किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबद्ध नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 4 और 5 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है ।

मद संख्या 6

नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 14011/12/2014–MRTS-II दिनांक 30/09/2016 की शर्तों के अनुसार, श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक(निर्माण योजना) को श्री शैलेंद्र कुमार के स्थान पर तुरंत प्रभाव से नामांकित किया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने श्री कैलाश कुमार अग्रवाल को 30 सितम्बर 2016 से कंपनी के निदेशक बोर्ड में मनोनीत निदेशक के पर पर नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के अनुपालन में, उक्त नियुक्ति के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक(निर्माण योजना) ने कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

अन्य निदेशकों तथा श्री कैलाश कुमार अग्रवाल में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री कैलाश कुमार अग्रवाल किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबद्ध नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 6 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है ।

मद संख्या 7

दिनांक 8 सितम्बर 2016 को आयोजित बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(5) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने श्री राहुल अस्थाना (निदेशक पहचान संख्या 00234247) की नियुक्ति दिनांक 8 सितम्बर 2016 से 5 वर्ष के लिए अपर स्वतंत्र निदेशक के पद पर की है। उक्त नियुक्ति की निदेशक बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई है।

श्री राहुल अस्थाना ने कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत श्री राहुल अस्थाना से स्वतन्त्रता की घोषणा ली है।

निदेशक बोर्ड की राय में, श्री राहुल अस्थाना, स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु सभी मापदंड पर खरे उतरते हैं।

अन्य निदेशकों तथा श्री राहुल अस्थाना में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री श्री राहुल अस्थाना किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबंद्ध नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 7 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है ।

मद संख्या 8

दिनांक 8 सितम्बर 2016 को आयोजित बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(5) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा (निदेशक पहचान 03319240) की नियुक्ति दिनांक 8 सितम्बर 2016 से 5 वर्ष के लिए अपर स्वतंत्र निदेशक के पद पर की है। उक्त नियुक्ति की निदेशक बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई है।

श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा ने कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा से स्वतन्त्रता की घोषणा ली है।

निदेशक बोर्ड की राय में, श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु सभी मापदंड पर खरे उतरते हैं।

अन्य निदेशकों तथा श्री श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबंद्ध नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 8 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है ।

स्थान: मुंबई

तिथि: 24 जुलाई 2017

मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/-

कंपनी सचिव

सचिवालय मानक -I के अंतर्गत प्रकटीकरण हेतु अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

निदेशक का नाम	दुर्गा शंकर मिश्रा	अबोध खंडेलवाल	कैलाश कुमार अग्रवाल
आयु	56 वर्ष	56 वर्ष	54 वर्ष
अर्हता	आई ए एस	सनदी लेखाकार	आई ए एस
वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	23 जून 2017	16 दिसम्बर 2016	30 सितम्बर 2016
कंपनी में शेयरधारिता	निरंक	निरंक	निरंक
अंतिम अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं	स्पष्टीकारक कथन में विनिर्दिष्ट	लागू नहीं

निदेशक का नाम	राहुल अस्थाना	अदित्य प्रकाश मिश्रा
आयु	64 वर्ष	64 वर्ष
अर्हता	तकनीकी स्नातक(बी टेक) आई ए एस (सेवानिवृत)	बी टेक सिविल इंजीनियरिंग योग्य संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा
वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	8 सितम्बर 2016	8 सितम्बर 2016
कंपनी में शेयरधारिता	निरंक	निरंक
अंतिम अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

वार्षिक रिपोर्ट पर अध्यक्षीय भाषण

प्रिय शेयरधारक,

मुम्बई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड की 9 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं गौरान्वित महसूस कर रहा हूँ ।

भारत के नियंत्रक एव्म महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को शामिल करते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा, स्वतंत्र संवैधानिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट शेयरधारकों को परिचालित की जा चुकी है । मैं आशा करता हूँ कि रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी का इक्विटी आधार 73.20 करोड़ रूपये से बढ़ कर 515.20 करोड़ रूपये हो गया है। निधि का निपटान करने के लिए उद्देश्य से निगम ने विनियोजित तरीके से वर्ष 2016-17 के दौरान 14.41 करोड़ रूपये की ब्याज आय अर्जित की, जोकि 2015-16 में 6.45 करोड़ रूपए थी।

भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के 5 प्रतिनिधियों तथा 3 प्रयोजनमुल्क निदेशकों तथा 2 स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए बोर्ड मे निदेशकों की संख्या 15 है।

आप सभी जानते हैं कि मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अस्थायी और स्थायी ज़मीन का अधिग्रहण ज़रूरी है। आपकी कम्पनी ने इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमने पहले ही 68.62 हेक्टर अस्थायी ज़मीन एवं 5.76 हेक्टर स्थायी भूमि पर अधिग्रहण प्राप्त कर लिया है। निजी ज़मीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और महाराष्ट्र क्षेत्र एवं शहर नियोजन अधिनियम 1966 (एम आर & टी पी) के तहत जमीन मालिकों को नोटिस भेजा जा चुका है। विचार विमर्श किया जा रहा है। 70 निजी भूमि मालिकों के साथ मोलभाव प्रक्रिया शुरू की गई है तथा मार्च 2017 तक लगभग 29 सम्झौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। एस एल आर मुम्बई सिटी/मुंबई उपनगरीय को संयुक्त मापन प्रस्ताव भेजा गया था और 27 प्रस्ताव स्वामित्व तथा शीर्षक जांच रिपोर्ट के संबध में कानूनी राय के लिए रुके हैं।

राज्य सरकार मुम्बई/नगर परिवहन परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्वसन नीति के अनुसार कम्पनी ने 2807 परियोजना प्रभावित परिवारों व्यवसाय एवं/एककों का पुनर्वास एवं पुनर्वसन किया है। गिरगांव एवं कालबादेवी सहित निजी ज़मीन पर सभी प्रभावित झुग्गी झोपडी परिवारों तथा परियोजना प्रभावित लोगोंके लिए जन परामर्श योजना (पी ए पी) शुरू की गयी है। परियोजना प्रभावित लोगों को कार्य योजना द्वारा अनुमोदित (पी ए पी)

पुनर्वास एवं पुनर्वसन के क्रियाकलाप बारे में बताया गया था और किराये की राशि/ म्हाडा योजना में किराया/ट्रांजिट आवास का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी। झुग्गी झोपड़ी पुनर्वसन प्राधिकरण(एस आर ए) ने चकाला, अंधेरी (पूर्व) में 1012 अतिरिक्त निवासियों को अधिकार दिया है। एम एम आर सी ने प्रस्तावित बी के सी मेट्रो स्टेशन, सहार रोड, सारिपुत नगर, विद्या नगरी और नया नगर के टी बी एम क्षेत्र से पहले ही 1310 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जा चूका है। सरकारी भूमि/अन्य प्राथमिकता वाले स्थलों पर शेष परियोजना प्रभावित लोगों की स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है और अगले कुछ महीनो में पूरा हो जाएगा।

हमने मुम्बई सेंट्रल पर अपेक्षित भूमि के लिए पश्चिम रेलवे से अनुमोदन प्राप्त किया है। पश्चिम रेलवे ने संशोधित पट्टा प्रभार के लिए 44 करोड़ पर सहमति जताई है तथा आपकी कंपनी ने 07/12/2016 को आवश्यक राशि का भुगतान किया है। कंपनी ने पश्चिम रेलवे से स्थायी और अस्थायी भूमि का अधिग्रहण किया है।

पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार,(एम ओ ई एफ सी सी) क्षेत्रीय कार्यालय, ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा2(II) के तहत बी.के.सी. स्टेशन पर 0.91 हेक्टेयर तथा धारावी स्टेशन पर 0.34 हेक्टेयर भूमि के डाइवर्जन के लिए मंज़ूरी प्रदान की है। मुझे यह बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि दिनांक 30/06/2017 को आयोजित 119 वीं बैठक में महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबन्धन प्राधिकरण ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण को से आर जड II क्षेत्र/सी आर जड III(छोटा भाग) में विधान भवन स्टेशन के (स्टेशन बॉक्स भाग, प्रवेश, निकास तथा वेंटिलेशन) तथा बी के सी में बी के से कास्टिंग यार्ड का प्रस्ताव मंजूर किया है।

16 सितम्बर 2015 को आपकी कंपनी ने मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय हवाइपत्तन मर्यादित (एम आई ऐ एलके साथ हिस्से (धारक के तौर पर समझौता किया है और एम आई ऐ एल हिस्सेधारक के तौर पर अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। छत्रपती शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय विमान तल मुम्बई के टर्मिनल 2 के ज़मीन का एक हिस्सा मुक़दमेबाज़ी में था। सिविल एविएशन मंत्रालय की सलाह पर आपकी कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में उक्त ज़मीन पर मेट्रो स्टेशन के निर्माण में राहत देने हेतु आवेदन दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04/07 /2016 के अपने आदेश द्वारा हमें राहत देते हुए मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि सौपने का आदेश दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 02 /11/ 2016 के अनुसार हमें उक्त भूमि पर कार्य शुरू करने के लिए मंज़ूरी दी है तथा तदनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है।

हमने स्टेशन निर्माण में सुविधा उपलब्ध कराने और हुतात्मा चौक एवं विज्ञान संग्रहालय पर सहबद्ध सुविधा प्रदान हेतु बृहनमुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। दिनांक 30/12/2016 को महाराष्ट्र सरकार ने आरे कॉलोनी में 25 हेक्टेयर के कार डिपो के लिए सुधारित विकल्प का अनुमोदन किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उक्त भूमि को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से बाहर रखा गया है। कार डिपो कार्य के लिए निविदा भी दिया जा चुका है।

परियोजना संरक्षण और स्टेशन के लिए, बृहनमुंबई महानगर पालिका(एम सी जी एम) ने पहले ही 3891 पेड़ो की पहचान की है जो हमारे परियोजना के रास्ते में आयेंगे। उनमें से 1074 पेड़ो को काटा जाना है तथा 1727 पेड़ों का प्रतिरोपण किया जाना है और 1090 पेड़ों को प्रतिधारित किया जाना है। प्रभावित सुविधाओं की पहचान कर उन्हें चिह्नित किया गया है। एम सी जी एम द्वारा दी गई मंजूरी पर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी गई है। मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा जिसने 09/02/2017 को मामले का निपटारा किया।

समान्य परामर्शदाता ने (जी सी के साथ 26 मई 2015 को समझोते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया) की रुपरेखा तैयार की है तथा यह मान लिया है कि सिविल निर्माण, प्रमुख तिथियां और इन्स्टालेशन, विभिन्न प्रणाली अनुबंधों के परीक्षण सहित पूरा लाइन 3 गलियारे को 3 चरणों में चालू किया जायेगा।

परियोजना कार्यान्वयन के लिए, 1जुलाई 2016 को अनुबंधों के स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये और 18 जुलाई 2016 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौतों के प्रदान एवं हस्ताक्षर तिथि के आधार 7 सिविल कार्यों (भूमिगत स्टेशनों और सुरंगों) के लिए 7 सिविल कार्यों के अनुबंध हस्ताक्षरित किये गये हैं तथा सभी कार्य शुरू कर दिये गये। भुतकनीकी जांच-, सर्वेक्षण, विस्तृत डिज़ाइन, सिकेंट पाईलिंग और कास्टिंग यार्ड का काम प्रगति पर है। सभी सात पैकेजों में सुरंगों के लिए विनिर्माण कार्य हेतु कास्टिंग यार्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पहले से ही 464 04 करोड़ रुपये का चलित अग्रिम, प्लांट एवं मशीनरी के लिए 475.78 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि और परियोजना के निर्माण के प्रगति में तेजी लाने हेतु समय पर बिलों के भुगतान के लिए 469.51 करोड़ रुपये की राशि की अनुमति दी जा चुकी है।

प्रणाली पैकेजों जैसे विद्युत आपूर्ति और घर्षण, सुरंग वेंटीलेशन और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली, लिफ्ट और स्वचालित सीढियों, संकेतन और ट्रेन नियंत्रण, प्लैटफॉर्म स्क्रीन डोरस और टेलीकॉम प्रणाली, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, रोलिंग स्टॉक सिस्टम और ट्रैक सिस्टमकी खरीद के लिए प्रस्तावों का अनुरोध जापान अंतराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) की मंजूरी की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। इस संबंध में, सभी लागू पैकेजों के लिए पूर्व अर्हता प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा बोली लगाने वालों का चयन किया जा चूका है।

हमने टाटा पावर के साथ भी तकनीकी व्यवसायी विचार पर 110 कि.वा. विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.02.17 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। टाटा पावर ने 2019-2020 तक की अवधि तक के लिए बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव दिया है, जिसमे मेट्रो वर्ग टैरिफ को बेहद न्यूनतम दर पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है।

31 मार्च 2017 तक, नियमित, प्रतिनियुक्ति एवं दीर्घ अवधि अनुबंध वर्ग में हमारे पास 110 कर्मचारी हैं और 43 पदो पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

आपको सुचित करते हुए मुझे ख़ुशी हो रही है कि लाइन 3 परियोजना मे ग्रीन पहल को आगे बढाने के लिये भारतीय हरित निर्माण परिषद(आई जी बी सी) द्वारा हमें संस्थापक सदस्यता की पदवी प्रदान की गई है।

अंत में, मैं हितधारकों जैसे भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, एम एम आर डी ए, एजंसी जैसे जापान अंतराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी(जिका), एम आई ए एल, विभिन्न सलाहकारों और ठेकेदारों को परियोजना के कार्यान्वयन में उनके योगदान हेतु अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं बोर्ड के सदस्यों को भी उनके अंर्तदृष्टि एवं सलाह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने कंपनी को अग्रसर करने में भरपूर योगदान दिया है ।

मैं संगठन के विकास में सहायक बने कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण और कड़ी मेहनत पर अपनी स्वीकृति को अभिलेख बद्ध करना चाहूँगा।

दुर्गा शंकर मिश्रा
अध्यक्ष
मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
मुंबई

आपके निदेशकों को, वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के कारोबार, प्रचालन तथा वित्त स्थिति पर कंपनी के निदेशक बोर्ड की 9 वीं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम एवं निष्पादन

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि लाख में)

विवरण	वर्ष 2016-17 के लिए	वर्ष 2015-16 के लिए
कुल आय	1440.86	644.70
कम: प्रचालन व्यय	837.19	264.79
कम: अवमूल्यन	120.93	47.19
कम: वित्तीय व्यय	0	0
कम: अपवादात्मक मदें	0	0
कर पूर्व लाभ(हानि)	482.74	332.72
कम: कर व्यय	529.23	113.99
कर उपरांत शुद्ध लाभ(हानि)	(46.49)	218.73
सामान्य संरक्षण में अंतरण	0	0
तुलन पत्र में अग्रेनीत लाभ	(46.49)	218.73

2. सामान्य संरक्षण हेतु अंतरण

बोर्ड ने सामान्य संरक्षण में किसी राशि का अंतरण नहीं किया है।

3. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश

चालू तथा पिछले वित्त वर्ष में होनेवाले नुकसान के कारण, निदेशक बोर्ड ने कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की मंजूरी नहीं दी है।

4. कंपनी की स्थिति

कंपनी अप्रैल 2008 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक तथा राज्य सरकारी कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। वित्त वर्ष (2014-15) में, कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 50:50 अनुपात में भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम बन गई है।

भारत सरकार ने, पत्र सं 14011/36/2009Metro/MRTS-II(VolIII) दिनांक 18 जुलाई 2013 के संदर्भ में, कंपनी को मेट्रो लाइन III (कोलाबा-बांद्रा-सीप्झ) परियोजना के कार्य के लिए विशेष उद्देशय वाहन (SPV) के रूप में नियुक्त किया है।

भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम होने के कारण, राज्य शासित कंपनी से सरकारी कंपनी में बदलाव संघ के ज्ञापन तथा संघ के अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

5. कंपनी के शेयर जारी करना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु 100/- प्रति शेयर के 50 करोड़ इक्विटी शेयरों को शामिल करते हुए रु 50,00,00,00,000 (पाँच हजार करोड़ रुपए केवल) है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के मनोनीतों को रु 100/- प्रति शेयर के 4,42,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है;

क्रम संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल राशि
1	8 सितम्बर 2016	2,34,00,000	234,00,00,000
2	16 दिसम्बर 2016	2,08,00,000	20,80,000,000
	कुल	4,42,00,000	442,00,00,000

6. कंपनी का प्रचालन

केंद्र सरकार के पत्र सं 14011/36/2009/Metro/MRTS-II(Vol III) दिनांक 18 जुलाई 2013 द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार, कंपनी कोलाबा-बांद्रा-सीप्झ मेट्रो लाइन III परियोजना के लिए विशेष परियोजन माध्यम संस्था संस्था है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास हैं:

मुंबई शहर के लिए 150 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क की मुंबई मेट्रो मुख्य योजना तैयार की गई है जिसमें से 12 किलोमीटर मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण बूट प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वित कर दी गई है। वर्तमान में कॉर्पोरेशन कोलाबा-बांद्रा-सीप्झ से मेट्रो लाइन-III के कार्यान्वयन में है जोकि 33.5 किलोमीटर लंबी है तथा जिसका कार्य 2020 तक पूर्ण करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने शेष कॉरीडोर का कार्यान्वयन मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एक वैकल्पिक संस्थागत प्रबंध) से करवाने का निर्णय लिया है।

7. निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इस रिपोर्ट के अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल निम्नलिखित है:

निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री अजोय मेहता	00155180	27/04/2015	मनोनीत निदेशक
डॉ नितिन नंदकिशोर करीर	01624863	05/01/2015	मनोनीत निदेशक

सुश्री अश्विनी सतीश भिड़े	02861008	05/01/2015	प्रबंध निदेशक
श्री उर्वीन्द्र पाल सिंह मदन	03570256	02/03/2013	मनोनीत निदेशक
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	02944212	23/06/2017	मनोनीत निदेशक
श्री अनूप कुमार गुप्ता	06572327	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	06774923	11/03/2015	मनोनीत निदेशक
सुश्री झांजा त्रिपाठी	06859312	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री दिनेश कुमार जैन	07239310	27/04/2016	मनोनीत निदेशक
श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	06589635	30/09/2016	मनोनीत निदेशक
श्री राहुल अस्थाना	00234247	08/09/2016	स्वतंत्र निदेशक
श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	03319240	08/09/2016	स्वतंत्र निदेशक
श्री अजयकुमार ए. भट्ट	07110097	06/02/2015	प्रयोजनमूलक निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	07114292	14/01/2015	वित्त निदेशक
श्री अबोध खंडेलवाल	07807394	28/04/2017	वित्त निदेशक

भारत सरकार द्वारा नामांकन के अंतरण/वापसी लेने पर श्री राजीव गौबा को दिनांक 23/06/2017 से निदेशक मंडल का हिस्सा बनने से रोक दिया गया है। निदेशक मंडल ने श्री राजीव गौबा को उनके कार्यकाल में दिए गए योगदान एवं निवेश के लिए प्रशंसा की है। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा को दिनांक 23/06/2017 से कंपनी के निदेशक तथा निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के पर पर नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, वर्ष 2016-17 के दौरान, श्री एस.के. श्रीवास्तव तथा श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा के स्थान पर, श्री दिनेश कुमार जैन तथा श्री कैलाश कुमार अग्रवाल कंपनी के निदेशक बोर्ड में मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए थे।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रवाधानों के अनुसार, श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा, श्री राहुल अस्थाना तथा श्री अबोध कुमार गुप्ता की नियुक्ति कंपनी की 9 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। निदेशक बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है।

कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में बदलाव किया गया था। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण निम्न प्रकार है:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि
सुश्री अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक	5 जनवरी 2015	--
सुश्री रितु देब	कंपनी सचिव	15 अप्रैल 2015	--
श्री अबोध खंडेलवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29 मार्च 2017	--
श्री इंद्रनील सरकार	मुख्य वित्तीय अधिकारी	---	29 मार्च 2017

प्रयोजनमूलक निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को दत्त पारिश्रमिक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न एम जी टी -9 फॉर्म में प्रदान की गई है।

8. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी ने दिनांक 8 सितम्बर 2016 को आयोजित बोर्ड बैठक में श्री राहुल अस्थाना तथा श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा को स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम की धारा 149(6) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए स्वतंत्र निदेशकों ने उनकी स्वतंत्रता घोषणा दे दी है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक कार्यकारी निदेशकों, मनोनीत निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की अनुपस्थिति में दिनांक 30 मार्च 2017 को मिले थे।

9. बोर्ड बैठकों तथा समिति बैठकों का विवरण

(क) बोर्ड बैठकें

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक बोर्ड की चार बैठकें हुई थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
39 वीं	27 मई 2016	9
40 वीं	8 सितम्बर 2016	10
41 वीं	16 दिसम्बर 2016	10
42 वीं	9 मार्च 2017	9

निदेशक का नाम	**वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या**		
	आयोजित	**उपस्थिती हेतु योग्य**	**उपस्थित**
श्री अजोय मेहता	4	4	1
डॉ नितिन नंदकिशोर करीर	4	4	3
सुश्री अश्विनी सतीश भिड़े	4	4	4
श्री उरविंदर पाल सिंह मदान	4	4	3
श्री राजीव गौबा	4	4	4
श्री अनूप कुमार गुप्ता	4	4	4
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	4	4	3
सुश्री झांजा त्रिपाठी	4	4	4
श्री दिनेश कुमार जैन	4	4	1
श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	4	4	3
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	4	4	3
श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	4	2	2
श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	4	1	1
श्री राहुल दुर्गाप्रसाद अस्थाना	4	2	2

दो बोर्ड बैठकों के बीच का समय 120 दिनों से ज्यादा नहीं हुआ था तथा प्रत्येक तिमाही में एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है। सभी बोर्ड बैठकों में पर्याप्त सदस्य उपस्थित थे। कंपनी ने बोर्ड बैठकें करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा जारी सचिवालय मानक (SS-1)के अंतर्गत आवश्यक अनुपालनों का अनुसरण किया है।

(ख) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।
लेखापरीक्षा समिति के 2 सदस्य व्यक्तिक रूप से मौजूद हैं।
लेखापरीक्षा समिति का गठन तथा इसके सदस्यों द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
1	सुश्री झांजा त्रिपाठी	अध्यक्ष	4	4
2	श्री यू. पी. एस. मदान	सदस्य	3	3
3	श्री राहुल अस्थाना*	स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा*	स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	श्री अजय कुमार भट्ट	सदस्य	4	3

*श्री राहुल अस्थाना और श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा दोनों स्वतंत्र निदेशक वर्ष के दौरान दिनांक 08/09/2016 को नियुक्त हुए थे।
वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 8 सितम्बर 2016, 22 सितम्बर 2016, 16 दिसम्बर 2016 तथा 9 मार्च 2017को आयोजित की गई थी।

कंपनी ने दिनांक 24 जुलाई 2017 को आयोजित बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था। जिसका विवरण निम्न है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री यू. पी. एस. मदान	अध्यक्ष
2	श्री राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक तथा सदस्य
3	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक तथा सदस्य

(ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने निदेशकों के बोर्ड से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के 2 सदस्य व्यक्तिक रूप से उपस्थित है।
नामांकन एवं परिश्रमिक समिति का गठन तथा इसके सदस्यों द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण निम्न है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
1	डॉ नितिन करीर	अध्यक्ष	2	1
2	सुश्री झांजा त्रिपाठी	सदस्य	2	2
3	सुश्री अश्विनी भिड़े	सदस्य	2	2
4	श्री राहुल अस्थाना*	स्वतंत्र निदेशक	2	2
5	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	2	1

*श्री राहुल अस्थाना और श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा दोनों स्वतंत्र निदेशक वर्ष के दौरान दिनांक 08/09/2016 को नियुक्त हुए थे।

वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 8 सितम्बर 2016, 16 सिसम्बर 2016 तथा 9 मार्च 2017 को आयोजित की गई थी।
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नामांकन एवं परिश्रमिक समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।
नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति की प्रति इस रिपोर्ट के **अनुसंलनक I** के रूप में संलग्न है।

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार,निदेशक बोर्ड ने निदेशकों के बोर्ड से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया था।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के 2 सदस्य व्यक्तिक रूप से उपस्थित है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन तथा इसके सदस्यों द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण निम्न है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
1	श्री राहुल अस्थाना	अध्यक्ष	1	1
2	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	सदस्य	1	1
3	सुश्री अश्विनी भिड़े	सदस्य	1	1

वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक दिनांक 30 मार्च 2017 को आयोजित की गई थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कंपनी की नेटवर्थ से संबन्धित मापदंड को पूरा करने के कारण, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है। क्योंकि, कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व देयता निरंक थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का विवरण और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय तथा व्यय न करने का कारण, यदि कोई, इस रिपोर्ट में अनुसंलग्नक II के रूप में संलग्न है।

(ड़) शेयर आबंटन समिति

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने निदेशकों के बोर्ड से शेयर आबंटन समिति का गठन किया था। निदेशकों के बोर्ड से समिति एक गैर अनिवार्य समित है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के 2 सदस्य व्यक्तिक रूप से उपस्थित है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन तथा इसके सदस्यों द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण निम्न है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
1	श्री यू. पी. एस. मदान	अध्यक्ष	2	2
2	श्री झांजा त्रिपाठी	सदस्य	2	0
3	सुश्री अश्विनी भिड़े	सदस्य	2	2
4	श्री राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक	1	0
5	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	1	0

वर्ष के दौरान शेयर आबंटन समिति की बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2016 तथा 4 जनवरी 2017 को आयोजित की गई थी।

10. निदेशक बोर्ड का वार्षिक मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अनिवार्य होने के कारण निदेशक बोर्ड के मूल्यांकन हेतु निदेशक बोर्ड ने एक मूल्यांकन तंत्र अपनाया है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के तहत, स्वतंत्र निदेशक उनकी बैठक में कार्यकारी तथा गैर स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा, नामांकन एवं परिश्रमिक समिति नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति में निर्धारित पैरामीटर के अनुसार स्थापित मापदंड के आधार पर सभी निदेशकों का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा, निदेशक बोर्ड समूहिक रूप से निदेशकों, बोर्ड की समितियों तथा पूरे बोर्ड का निर्धारित पैरामीटर पर मूल्यांकन करते हैं।

11. कंपनी के वित्त वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबन्धित है, की समाप्ति तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुए महत्वपूर्ण बदलाव और वायदे, यदि कोई, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो

कंपनी के वित्त वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबन्धित है, की समाप्ती तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई भौतिक बदलाव और वायदे घटित नहीं हुए हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो।

12. भविष्य में कंपनी के प्रचालन तथा चालू रहने के स्थिति पर प्रभाव डालने वाले विनियामक या न्याय या अधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्व और भौतिक आदेशों का विवरण

समीक्षाधींन वर्ष के दौरान, कंपनी के प्रचालन तथा चालू रहने के स्थिति पर प्रभाव डालने वाले किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

13. निक्षेप/जमा:

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने कोई निक्षेप/जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई राशि बकाया नहीं है जो कंपनी (जमा स्वीकृति) नियमावली, 2014 की सीमा में आती है।

14. सांविधिक लेखापरीक्षक:

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सी.ए.जी.) के कार्यालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मै.आर.एस.वी.ए. एंड कं (फर्म पंजीकरण सं 110504 W) को नियुक्त किया है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किसी प्रकार का की धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है जो निदेशक रिपोर्ट में प्रकटीकरण या केंद्र सरकार को रेपोर्टिंग हेतु अपेक्षित है।

15. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई टिप्पणियाँ, अभिमत या अभ्युक्तियाँ नहीं हैं जिन पर कंपनी के निदेशक मंडल से जवाब अपेक्षित हो। सभी टिप्पणियाँ, अभिमत या अभ्युक्तियाँ, यदि कोई, स्वयं व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षा शेष है तदनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट का इंतजार है।

17. सचिवालय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने मै. डी.ए.कामत एंड कं, कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी के सचिवालय लेखापरीक्षक के लिए नियुक्त किया है। सचिवालय लेखापरीक्षा फॉर्म की प्रति **अनुसंलग्नक III** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संकग्न है।

18. सचिवालय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के तहत, 24 जुलाई 2017 को आयोजित बैठक में बोर्ड ने कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था तथा अधिनियम की धारा 178 के तहत, कंपनी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।

19. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

(क) ऊर्जा संरक्षण:	
(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:	i. मेट्रो प्रणाली में एल.ई.डी. आधारित मुख्य प्रकाश व्यवस्था. ii. एल. ई. डी. आधारित संकेत पट्टी प्रदान करना
(ii) ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत प्रयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	i. प्राकृतिक रोशनी का रास्ता बनाना ii. डिपो इत्यादि में सौर ऊर्जा का कार्यान्वयन
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	i. स्टेशनों पर सुव्यवस्थित प्रकाश प्रणाली जैसे सार्वजनिक स्थान आधारभूत लाइटिंग, प्राकृतिक प्रकाश, मिश्रित प्रकाश अव्यस्त समय के दौरान कम प्रकाश का प्रयोग। ii. ऊर्जा नियंत्रण हेतु यात्री संघनता का वीडियो अनुवीक्षण। iii. यात्रियों की संख्या के आधार पर नियंत्रित वातानुकूलन. iv. अधिक क्षमता वाले चिल्लर प्लांट का प्रयोग।

(ख) तकनीकी आमेलन:	
(i) तकनीकी आमेलन के लिए उठाए गए कदम	i. निविदा मूल्यांकन के समय पुनरुज्जीवित ब्रेकिंग संपर्क. ii. यान में एल.ई.डी. स्मार्ट लाइट तथा स्मार्ट वातानुकूलर. iii. कम भार वाली बोगियाँ।
(ii) उत्पाद में सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद का विकास या आयात प्रतिस्थापन आदि से प्राप्त लाभ	i. स्थायी चुंबक मोटर। ii. यानों में एच.वी.ए.सी. (हीटिंग वेंटीलेशन अँड एयर कंडीशनिंग) में दबाव को बदलने वाला
(iii) आयात की गई तकनीक के संबंध में (वित्त वर्ष के प्रारम्भ से पिछले तीन वर्षों में आयात की गई)	
(क) आयात की गई तकनीक का विवरण;	
(ख) आयात वर्ष;	
(ग) क्या तकनीक पूरी तरह से अपना ली गई है;	
(घ) यदि पूरी तरह से अपनाई नहीं गई है तो, क्षेत्र जहां अवमेलन नहीं किया गया है तथा इसके अवमेलन न करने का कारण; तथा	
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	
(ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय	

वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के कारण विदेशी मुद्रा अर्जन तथा वर्ष के दौरान वास्तविक नि:स्त्राव के कारण विदेशी मुद्रा व्यय	निरंक

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(g) के अंतर्गत लोन, निवेश और गारंटी का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई लोन नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है या ना ही किसी लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी दी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा134(3) के प्रावधानों के कार्य क्षेत्र में आते हों। अतः कोई प्रकटीकरण देना अपेक्षित नहीं है।

21. संबन्धित पार्टी के ठेकों या विन्यासों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संबन्धित पार्टी के ठेकों या विन्यासों का विवरण निर्धारित प्रारूप AOC-2 में इस रिपोर्ट के साथ **'अनुसंलग्नक IV'** के रूप में संलग्न है।

22. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिटर्न का उद्धरण फॉर्म MGT-9 में, इस रिपोर्ट के साथ **'अनुसंलग्नक V'** के रूप में संलग्न है।

23. कर्मचारी

(i) रु 8,50,000 प्रति माह या रु1,02,00,000 प्रति वर्ष से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कोई कर्मचारी नहीं है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रयोजनमूलक निदेशकों को दत्त पारिश्रमिक का विवरण लेखापरीक्षित लेखों में दिया गया है।

(ii) इसके अलावा, निदेशक मंडल ने बताया है कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान "कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोक, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2011" के अंतर्गत कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

24. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी की इसके व्यवसाय की प्रकृति को अनुरूप जोखिम प्रबंधन नीति है। जहां तक हो सके, निदेशक बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति इसकी नियमित रूप से समीक्षा तथा जांच करती है।

बोर्ड की राय में, कोई जोखिम उपलब्ध नहीं है जिससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई खतरा हो।

25. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

वित्तीय विवरण के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि कोई धोखा या कमी पाई जाती है ,को दूर करने की व्यवस्थित तथा कुशल पद्धति है , निदेशक बोर्ड समय-समय पर कंपनी की आंतरिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है। इसके अलावा,लेखांकन रेकॉर्ड की यथार्थता तथा पूर्णता निश्चित करने के लिए आंतरिक नीतियां तथा प्रक्रियाएं सही हैं तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने हेतु उचित प्रणाली है।

26. निदेशक दायित्व विवरण

निदेशकों ने यह कथित किया है कि:

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, माल प्रस्थान के लिए संबन्धित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ उचित लेखांकन मानकों का प्रयोग किया गया है।

(ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानि का सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं लगातार प्रयोग किया है तथा ऐसे फैसले व अनुमान लगाए हैं जो तर्कपूर्ण तथा दूरदर्शी हैं।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी का पता लगाना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा कंपनी के लंबी अवधि तक चलते रहने के आधार पर तैयार किए हैं तथा

(ङ) निदेशकों ने सभी कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रणाली के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण संचालन हेतु उचित व्यवस्था की है।

27. अभिस्वीकृतियाँ

निदेशक मंडल ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा विनियामक प्राधिकरण को उनके समर्थन हेतु इसकी कृतज्ञता जताई है। मंडल ने इस के साहूकारों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उनके समर्थन और सहयोग हेतु भी इसकी कृतज्ञता दिखाई है।

कृते निदेशक मंडल के लिए
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 24/07/2017

हस्ता/-
अध्यक्ष

फॉर्म नं एम.आर.-3

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्य,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित,
मुंबई

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित "कंपनी" द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट कार्यों के अनुपालन हेतु सचियावलय लेखापरीक्षा की है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी कि हम कंपनी के आचार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन कर सकें तथा अपना सुझाव दे सकें। हमारी रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुसंलग्नक Iतथा अन्य अनुसंलग्नक, जोकि इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है, को इस रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए।

सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के बही खातों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म और भेजी गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्ड व कंपनी द्वारा और इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचना की जांच के आधार पर, हम यह प्रस्तुत करते हैं कि हमारे सुझाव में, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी ने अधिसूचित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा इसके अलावा, कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालना प्रणाली है जिसकी रेपोर्टिंग निम्न प्रकार है:

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कंपनीद्वारा अच्छे कॉर्पोरेट कार्यों के अनुपालन हेतु सचियावलय लेखापरीक्षा की है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तारीक से की गई थी कि हम कंपनी के आचार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन कर सकें तथा अपना सुझाव दे सकें।

I. लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान, हमनें 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म एवं भेजी गई रिटर्न, सह व्यवसायियों द्वारा जारी रेपोर्टों तथा कंपनी द्वारा अन्य रिकॉर्ड व रजिस्टरों की जांच की है तथा निम्न प्रावधानों के अनुसार कथन अनुसंलग्नक II में दिया गया है:

1. कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमावली, शर्तें, डिश-निर्देशों, मानकों इत्यादि का भरपूर अनुपालन किया है

2. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के वित्त वर्ष 2014-15 में प्रतिभूति विनिमय पर सूचीबद्ध न होने के कारण, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशा-निर्देश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:

क. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयर सारभूत अधिग्रहण एवं अधिकार)विनियम,2011

ख. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग निषेध)विनियम, 1992

ग. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्मम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009

घ. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टॉक खरीदी योजना) दिशानिर्देश, 1999

ङ. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्मम एवं सूचीबद्धता)विनियम, 2008

च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयर निर्मम तथा अंतरण दलाल का पंजीकरण)विनियम,1993

छ. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)विनियम, 2009

ज. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति प्रति क्रय)विनियम, 1998

झ. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (स्टोक ब्रोकर एवं उप ब्रोकर)विनियम, 1992

ञ. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (डिपोजीटरी एवं प्रतिभागी)विनियम, 1996

ट. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध)विनियम, 1992 (जिस हद तक बाजार मध्यस्थ पर लागू होता है)

ठ. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक)विनियम, 2014

ड. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षता)विनियम, 2015 तथा सूची करार

II इसके अलावा हमारा कथन है कि कंपनी में अनुपालन हेतु मौजूद प्रणाली तथा संबन्धित प्रस्तुतियों तथा दस्तावेजों की जांच पर नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने अनुसंलग्नक III में दर्शाये सभी नियमों का अनुपालन किया है।

III हमने दिनांक 01 जुलाई 2015 से लागू, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सचिवालय मानक I और II के लागू प्रावधानों के अनुपालन की जांच की।

इसके अलावा हमारा कथन है कि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा लागू प्रावधानों के अनुरूप कार्यरत थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड में हुआ बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही किया गया था। बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(2) के अंतर्गत इसकी लेखापरीक्षा समिति तथा धारा 178(1) के अंतर्गत नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करना अपेक्षित था जोकि 31 मार्च 2017 तक नहीं की गई थी।

बोर्ड बैठकों की समय सारणी के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस भेजा जाता है, कार्यसूची एवं कार्यसूची का विवरणित नोट बैठक के 7 दिन पहले भेजे जाते थे, तथा बैठक से पहले और बैठक में फायदेमंद हिस्सेदारी के लिए कार्यसूची पर स्पष्टीकरण और अन्य सूचना प्राप्त करने हेतु प्रणाली अस्तित्व में है।सदस्यों के विचारों पर संतोष जताने के लिए बहुमत का निर्णय लिया जाता है तथा कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

इसके अलावा, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार तथा संचालन के अनुरूप कंपनी में परिवीक्षा हेतु तथा लागू नियमों, कानून, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त प्रणाली है।

इसके अलावा हमारा कथन है कि रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान, उपरोक्त संदर्भित नियम, कानून, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के अनुपालन में, कंपनी कार्यों पर बहुमत सहमति प्राप्त करते हुए कंपनी ने निम्न कार्य किए हैं:

1. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के मनोनीतों को रु 100/- प्रति शेयर के 4,42,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है;

क्रम संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल राशि
1	8 सितम्बर 2016	2,34,00,000	234,00,00,000
2	16 दिसम्बर 2016	2,08,00,000	20,80,000,000
	कुल	4,42,00,000	442,00,00,000

2. कंपनी के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कई न्यायालयों में मामले न्यायाधीन हैं जिसके लिए हमने प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है। मामला न्यायाधीन होने के कारण, हम उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते हैं।

स्थान: मुंबई

तिथि: 18/07/2017

हस्ताक्षर

फर्म का नाम: डी.ए.कामत एंड कं

सांझेदार

एफ.सी.एस. सख्या 3843

सी.पी. संख्या 4965

हमारी रिपोर्ट संलग्न नोट अनुसंलग्नक I व अन्य अनुसंलग्नकों के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

अनुसंलग्नक I - 17/07/2017 की मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित की सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर नोट

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट निम्न नोट्स के साथ पढ़ी जाए:

1. सचिवालय रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवालय रिकॉर्ड पर तय अभिव्यक्त करना है।
2. सचिवालय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता से संबन्धित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जो उचित था, हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया है। सचिवालय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाये गए हैं यह आश्वस्त करने के लिए जांच नमूना आधार पर की गई थी। हमें विश्वास है कि हमरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा प्रथाएँ हमारे सुझाव के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने वित्तीय रिकॉर्ड तथा कंपनी के बही खातों की शुद्धता की जांच नहीं की है।
4. जहां अपेक्षित है, हमनें कानून, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटना के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानून, नियमों एवं विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है।हमारी जांच नमूना पर आधारित प्रक्रियाओं की जांच तक सीमित थी।
6. सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भावी व्यवहार का और न ही कंपनी के कार्यों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

स्थान: मुंबई

तिथि:

हस्ताक्षर

फर्म का नाम: डी.ए.कामत एंड कं

सांझेदार

एफ.सी.एस. सख्या 3843

सी.पी. संख्या 4965

अनुसंलग्नक II- दिनांक 17/07/2017 की सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित तथा अवलोकन किए गए दस्तावेजों की सूची

क्रम	दस्तावेजों की सूची
1.	समिति की (अनिवार्य और गैर अनिवार्य) बैठकों को शामिल करते हुए निदेशक बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त
2.	निदेशकों को जारी नोटिस तथा भेजी गई कार्यसूची कागज
3.	निदेशक बोर्ड तथा शेयरधारकों की बैठकों की उपस्थिती पंजिका
4.	कंपनी की सर्वसाधारण बैठकों की सूचना तथा कार्यवृत्त
5.	कंपनी द्वारा अनुरक्षित सांविधिक पंजिका
6.	आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट
7.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा जारी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित हित का सामान्य एवं विशेष प्रकटीकरण
8.	कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में तैयार वित्तीय विवरणों का मसौदा तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का मसौदा
9.	यौन निषेध अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन
10.	ठेकेदारों द्वारा जारी अनुपालना प्रमाण पत्र तथा उचित प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण अनुज्ञप्तियाँ (नमूना जांच पर आधारित)
11.	जांच सूची तथा नमूना आधार पर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पैकेजों पर विशिष्ट रूप से लागू नियमों की प्रयोज्यता

<u>अनुसंलग्नक III- कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों की सूची (प्रबंधन द्वारा घोषित):</u>

1. मेट्रो रेलवे (कार्य निर्माण)अधिनियम, 1978
2. मेट्रो रेलवे (संचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002
3. मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2002
4. भारतीय रेलवे अधिनियम,1890

फॉर्म संख्या एम.जी.टी. 9
वार्षिक रिटर्न का सारांश
31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

I	कंपनी पहचान संख्या	U60100MH20085GC181770
Ii	पंजीकरण तिथि	181770
iii	कंपनी का नाम	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
Iv	कंपनी का वर्ग/उप वर्ग	शेयरों से सीमित कंपनी
V	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, प्लॉट नं सी- 14-15, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी	लागू नहीं
vii	पंजीकर्ता तथा अंतरण एजेंट, यदि कोई, का नाम, पता तथा संपर्क विवरण	लागू नहीं

II कंपनी की मुख्य व्यापार

कंपनी की कुल बिक्री में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान करने वाली सभी व्यापार क्रियाकलापों का विवरण किया गया है

क्रम सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं वर्णन	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी की कुल बिक्री का प्रतिशत
1	मुंबई में जन साधारण को तेज, विश्वसनीय, सुविधाजनक, कुशल, आधुनिक तथा सस्ता जन परिवहन माध्यम प्रदान करने के लिए रेल आधारित समूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली का गठन, प्रबंधन, संचालन तथा अनुरक्षण करना	60212	निरंक

III होल्डिंग, सहायक तथा साथी कंपनियों का ब्योरा

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सी आई एन/जी एल एन	होल्डिंग/सहायक/साथी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	लागू नहीं				

IV शेयरधारक प्रारूप (कुल इक्विटी का प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विश्लेषण

शेयरधारक वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव	
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता		
क. प्रवर्तक										
(1) भारतीय										
क) व्यक्तिक/एच यू एफ		0	0	0%		0	0	0%		
ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार		7320000	7320000	100%		51520000	51520000	100%		
ग) निकाय/निगम		0	0	0		0	0	0		
घ) बैंक/विदेशी निवेशक		0	0	0		0	0	0		
e) अन्य कोई		0	0	0		0	0	0		
उप कुल:(क) (1)		**73,20,000**	**73,20,000**	**100%**		**51520000**	**51520000**	**100%**		
(2) विदेश										
क)अनिवासी भारतीय शख्स		0	0	0		0	0	0		
ख) अन्य शख्स		0	0	0		0	0	0		
ग) निकाय/निगम		0	0	0		0	0	0		
घ) बैंक/विदेशी निवेशक		0	0	0		0	0	0		
e) अन्य कोई		0	0	0		0	0	0		
उप कुल:(क) (2)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)		**73,20,000**	**73,20,000**	**100%**		**51520000**	**51520000**	**100%**		
ख. सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग										

(1) संस्थान										
क) म्यूचवल फंड		0	0	0		0	0	0		
ख) बैंक/विदेशी संस्थान		0	0	0		0	0	0		
ग) केंद्र सरकार		0	0	0		0	0	0		
घ) राज्य सरकार		0	0	0		0	0	0		
ङ) वेंचर कैपिटल फंड		0	0	0		0	0	0		
च) बीमा कंपनियाँ		0	0	0		0	0	0		
छ) विदेशी निवेशी संस्थान		0	0	0		0	0	0		
h) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड		0	0	0		0	0	0		
i) अन्य (स्पष्ट करें)		0	0	0		0	0	0		
उप कुल (ख)(1):		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
(2) गैर संस्थान										
a) निकाय/निगम		0	0	0		0	0	0		
i) भारतीय		0	0	0		0	0	0		
ii)विदेशी		0	0	0		0	0	0		
b) व्यक्तिक		0	0	0		0	0	0		
i) रु 1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी धारित व्यक्तिक शेयरधारक		0	0	0		0	0	0		
ii) रु 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी धारित व्यक्तिक शेयरधारक		0	0	0		0	0	0		
c) अन्य (स्पष्ट करें)		0	0	0		0	0	0		
उप कुल (ख)(2):		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
क. जी डी आर तथा ए डी आर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
कुल योग(क+ख+ग)		**73,20,000**	**73,20,000**	**100%**		**51520000**	**51520000**	**100%**		

(ii) **प्रवर्तकों की हिस्सेदारी**

क्रम सं	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी**			**वर्ष के अंत में हिस्सेदारी**			**वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में प्रतिशत बदलाव**
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	वचनबद्ध शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों के वचनबद्ध भारग्रस्त शेयरों की प्रतिशतता	
1	श्री राजीव गौबा के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	3660000	50%	0	25,760,000	50%	0	
2	श्री यू पी एस मदान के माध्यम से महाराष्ट्र के राज्यपाल	3660000	50%	0	25,760,000	50%	0	
	कुल	**73,20,000**	**100%**		**51520000**	**100%**		

(iii) **प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में बदलाव (यदि कोई बदलाव नहीं है तो स्पष्ट करें)**

क्रम सं		**वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी**		**वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी**	
1	**श्री राजीव गौबा के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**
	वर्ष के प्रारम्भ में	36,60,000	50.00%	36,60,000	50.00%
	13 सितम्बर को आबंटित शेयर	11700000	50%	15360000	50%
	4 जनवरी 2017 को आबंटित शेयर	10400000	50%	25760000	50%
	वर्ष के अंत में	25760000	50%	25760000	50%

क्रम सं		**वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी**		**वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी**	
2	**श्री यू पी एस मदान के माध्यम से महाराष्ट्र के राज्यपाल**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**
	वर्ष के प्रारम्भ में	36,60,000	50%	36,60,000	50%
	13 सितम्बर को आबंटित शेयर	11700000	50%	15360000	50%
	4 जनवरी 2017 को आबंटित शेयर	10400000	50%	25760000	50%
	वर्ष के अंत में	25760000	50%	25760000	50%

(iv) **मुख्य शेयरधारकों (निदेशक,प्रवर्तक और जी.डी.आर. व ए.डी.आर. धारकों के अलावा) का हिस्सेदारी प्रतिरूप**

क्रम सं		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	मुख्य 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंत में(या पृथक्कता की तिथि के समय, यदि वर्ष के दौरान पृथक हों तो)	0	0%	0	0%

(v) **निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी**

क्रम सं		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता

	डॉ नितिन करीर				
	वर्ष के प्रारम्भ में	**1	0.00%	1	0.00%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंत में	**1	0.00%	1	0.00%

क्रम सं		**वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी**		**वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी**	
	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**
	श्री यू.पी.एस.मदान				
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंत में				

क्रम सं		**वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी**		**वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी**	
	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता**

	सुश्री अश्विनी भिड़े				
	वर्ष के प्रारम्भ में	**1	0.00%	1	0.00%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंत में	**1	0.00%	1	0.00%

वर्ष के अंत में डॉ नितिन करीर तथा सुश्री अश्विनी भिड़े प्रत्येक के पास 1 शेयर है।

V **ऋणग्रस्तता**

	जमा को शामिल किए बिना सुरक्षित लोन	**असुरक्षित लोन**	**जमा**	**कुलऋणग्रस्तता (राशि लाख में)**
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन		26580.45		26580.45
ii) देय किन्तु अदत्त ब्याज		0.37		0.37
iii) अदेय प्रोदभूत ब्याज				
कुल (i+ii+iii)		26580.82		26580.82
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
बढ़ोतरी		93705.95	1216177	93705.95
कमी		-6340		-6340
शुद्ध बदलाव		87365.95		87365.95
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में बदलाव				
i) मूलधन		113946.77		113946.77
ii) देय किन्तु अदत्त ब्याज		133.79		133.79
iii) अदेय प्रोदभूत ब्याज		4.15		4.15
कुल (i+ii+iii)		114084.71		114084.71

VI **निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

क. **प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या निदेशक:**

क्रमसंख्या	**पारिश्रमिकका विवरण**		**प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक/निदेशक का नाम**			**कुल राशि**
1	**सकल वेतन**		**श्रीमती अश्विनी भिड़े**	**श्री सुबोध कुमार गुप्ता**	**श्री अजय कुमार भट्ट**	
	क) आयकर, 1961 की धारा 17(1) में दर्शाये प्रावधानों के अनुसार वेतन		2,200,648.00	2,594,801.00	2,548,581.00	7,344,030.00
	ख) आयकर, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों की कीमत		16,785.00	749,273.00	723,242.00	1,489,300.00
	ग) आयकर, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ					
2	स्टॉक विकल्प					
3	स्वेट इक्विटी					
4	कमीशन					
	लाभ का प्रतिशत					
	अन्य (स्पष्ट करें)					
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
	कुल(क)		2,217,433.00	3,344,074.00	3,271,823.00	8,833,330.00
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा					

ख.अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्रमसंख्या	**पारिश्रमिकका विवरण**	**निदेशकों का नाम**			**कुलराशि**
1	स्वतंत्र निदेशक				
	(क) बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थित रहने के लिएफीस				
	(ख) कमीशन				
	(ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	कुल (1)				
2	अन्य अकार्यकारी निदेशक				
	(क) बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थित रहने के लिएफीस				
	(ख) कमीशन				
	(ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	कुल (2)				
	कुल(ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम				

ग.प्रबंध निदेशक/निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्रमसंख्या	पारिश्रमिकका विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
1	सकल वेतन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल
	क) आयकर, 1961 की धारा 17(1) में दर्शाये प्रावधानों के अनुसार वेतन		14,71,523.00	15,66,333.00	30,37,856.00
	ख) आयकर, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों की कीमत		22,530.00	4,75,393.00	4,97,923.00
	ग) आयकर, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ				
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी				
4	कमीशन				
	लाभ का प्रतिशत				
	अन्य (स्पष्ट करें)				
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	कुल		14,94,053.00	20,41,726.00	35,35,779.00

VII **जुर्माना/दंड/अपराधों का मिश्रण**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	सारांश	जुर्माना/दंड/ अधिरोपित फीस का विवरण	प्राधिकार(आर.डी./एन.सी.एल. टी./न्याय)	की गई अपील, यदि कोई, (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					
ग. अपराध में शामिल अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					

कृते मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

हस्ता/-

अध्यक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित की वित्तीय स्थिति पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित की वित्तीय स्थिति तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर निर्धारित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। ऐसा दिनांक 24 जुलाई 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा कहा गया है।

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए, मैंने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6) (a) के अंतर्गत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित की वित्तीय विवरणों की प्रतिपूरक लेखापरीक्षा की है। यह प्रतिपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कामकाजी कागजातों का प्रयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षक तथा कंपनी कार्मिक से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की जांच तक सीमित है। मेरी प्रतिपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं धारा 143(6)(a) के अंतर्गत निम्न विशेष मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आए तथा वित्तीय विवरणों तथा संबन्धित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भलीभाँति समझने के लिए मेरे विचार में आवश्यक है।

क. **<u>वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ</u>**

तुलन पत्र

चालू देयताएँ

अन्य चालू देयताएँ

नोट संख्या 7 : रु **39833.58** लाख

(1) उक्त में 31 मार्च 2017 तक निर्माण ठेकों के लिए देय राशि रु 7602.88 लाख को शामिल नहीं किया गया है। देयताओं का शामिल न करने के कारण उक्त शीर्ष तथा कार्यगत पूंजी को उस राशि से कम दर्शाया गया है।

(2) मुंबई मेट्रो रेल लाइन-3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी के ऋण करार की धारा 3(1) में विनिर्दिष्ट ऋण राशि पर लगने वाली फ्रंट एंड शुल्क को उक्त में रु 841.73 लाख को शामिल नहीं किया गया है। देयताओं का शामिल न करने के कारण उक्त शीर्ष तथा कार्यगत पूंजी को उस राशि से कम दर्शाया गया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/-

(रूप राशि)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,

लेखापरीक्षा बोर्ड-1, मुंबई

स्थान: मुंबई

तिथि: 22/09/2017

€No. PDCA/MAB-1/MMRCL/Accounts Audit/2016-17 22 सितम्बर 2017

तुलन पत्र

चालू देयताएँ

अन्य चालू देयताएँ : नोट संख्या 7 रु 39833.58 लाख

क्रम संख्या	**लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ**	**प्रबंधन का जवाब**
1.	उक्त में 31 मार्च 2017 तक निर्माण ठेकों के लिए देय राशि रु 7602.88 लाख को शामिल नहीं किया गया है। देयताओं का शामिल न करने के कारण उक्त शीर्ष तथा कार्यगत पूंजी को उस राशि से कम दर्शाया गया है।	लेखों को अंतिम रूप देने तथा सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए लेखों को उपलब्ध करवाने हेतु समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संज्ञान में आने वाली सभी देयताओं का उचित लेखांकन करने के लिए एक तिथि नियत की जाती है। 31 मार्च 2017 से पहले ठेकेदारों द्वारा दी गई कुछ रसीदों का सत्यापन सामान्य परामर्शदाता द्वारा नियत तिथि के बाद किया था। इसलिए इन्हें वर्ष 2016-17 के लेखों में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी, लाभ एवं हानि विवरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।
2.	मुंबई मेट्रो रेल लाइन-3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी के ऋण करार की धारा 3(1) में विनिर्दिष्ट ऋण राशि पर लगने वाली फ्रंट एंड शुल्क को उक्त में रु 841.73 लाख को शामिल नहीं किया गया है। देयताओं का शामिल न करने के कारण उक्त शीर्ष तथा प्रगति में कार्य पूंजी को उस राशि से कम दर्शाया गया है।	भारत सरकार से किसी प्रकार के पत्राचार न प्राप्त होने तथा नगर विकास मंत्रालय से किसी प्रकार की मांग प्राप्त होने की स्थिति में, वित्त वर्ष 2016-17 के खातों में रु 8,41,73,198/- देयता प्रदान नहीं की गई है। फिर भी, लाभ एवं हानि विवरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

कृते मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशन मर्यादित

हस्ता/- हस्ता/-

प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण रिपोर्ट

हम ने 31 मार्च 2017 तक का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष की लाभ व हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना को सम्मिलित करते हुए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित (कंपनी) के वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों को शामिल करते हुए भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कंपनी में नकदी प्रवाह की सही एवं स्पष्ट जानकारी देने वाले वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएँ को रोकने एवं पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग करने, जो उचित एवं तर्कपूर्ण है उसका निर्णय लेने तथा प्राक्कलन करने तथा किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत ब्यान से परे, सही एवं स्पष्ट जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबन्धित लेखा रेकॉर्ड की यथार्थता एवं परिपूर्णता प्रभावपूर्ण सुनिश्चित करने का कार्य करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रूपांकन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करना भी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर सुझाव व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निहित नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन मामलों को शामिल करना अपेक्षित है, को शामिल किया है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा की थी। उन मानकों द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलत ब्यान से मुक्त है या नहीं का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की व्यवस्था तथा निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशि तथा प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना होता है। प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है जैसे वित्तीय विवरण पर गलत बयानों से जोखिम का निर्धारण करना चाहे वह धोखाधड़ी से किया गया हो या गलती से। जोखिम निर्धारण करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के समय परिस्थिति के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सही समझता है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के पूरी तरह मूल्यांकन के साथ-साथ कंपनी निदेशकों द्वारा बनाए लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं तथा वित्तीय विवरण पर हमारे लेखापरीक्षा सुझाव देने का आधार बताने के लिए उचित हैं।

सुझाव

हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित एवं निर्धारित तरीके में सूचना प्रदान करता है तथा भारत में समान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में 31 मार्च 2017 तक के कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा वर्ष के उक्त तिथि तक इसकी लाभ व हानि और इसकी नकदी प्रवाह का सत्य व निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

(क) हम प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबन्धित वित्तिय विवरण के साथ संलग्न अनुसंलग्नक "विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ" के नोट 19.7 के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं। आकस्मिक दायित्व को तुलन पत्र की तिथि तक परिणामित नहीं किया गया है। अतः हम इस रिपोर्ट में अपेक्षित इसके वित्तीय विवरण पर होने वाले वित्तीय प्रभाव पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ख) हम प्रगति में कार्य पूंजी के संबंध में तुलन पत्र के नोट संख्या 10 के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे गत वर्ष में ब्याज राशि को लाभ व हानि विवरण में दर्शाया गया था, इस वर्ष कंपनी ने जापान अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी से प्राप्त ऋण से मियादी जमा में प्राप्त ब्याज के लेखांकन के संबद्ध में वर्ष के दौरान इसकी लेखांकन नीतियों में बदलाव किया है। वर्ष के दौरान रु 10,82,79,072/- (गत वर्ष रु 30,55,353/-) की प्राप्त ब्याज राशि को वर्ष में लिए उक्त ऋण व गत वर्ष के ऋण रु 37,444/- की लागत में समायोजन के उपरांत कार्यगत पूंजी से कम कर दिया गया है। रु 14,65,600/- (गत वर्ष रु 2,83,500/-) की प्राप्त निविदा फीस तथा रु 9,83,850/- (गत वर्ष रु 18,33,900/-) की प्राप्त भर्ती फीस के संबंध में लखांकन नीतियों में परस्पर बदलाव किए गए हैं जिसमें निविदा फीस तथा भर्ती फीस को इन लेखा शीर्षों में हुए व्यय से कम करने

के उपरांत शेष राशि को कार्यगत पूंजी में अंतरित की गई है। इस प्रकार वर्ष के दौरान इन फ़ीसों से प्राप्त आय को कार्यगत पूंजी से कम कर दी गई हैं।

(ग) गत वर्ष की तरह जहां नियमित/रोज मर्रा के खर्चों को कार्यगत पूंजी के रूप में आने वाली तिथि पर पूंजीकृत किया जाता था, लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन खर्चों को राजस्व मदों के व्यय के रूप में पहचानने के लिए इसकी नीति में बदलाव किए हैं। कंपनी को इस हर रोज के कार्यों में सहायता देने वाले गैर तकनीकी स्टाफ को वेतन एवं भत्ते, यात्रा व्यय तथा किराए पर ली जाने वाली कार के व्यय रूप में भुगतान की गई कुल राशि रु 5 ,55,96,465/- को सम्मिलित किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षताओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण, जहां तक उचित है, अनुसंलग्नक-। में दी जा रही है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमारी लेखापरीक्षा से संबन्धित अत्यंत उपयोगी एवं विश्वसनीय सभी सूचना एवं व्याख्यान हमने मांगें हैं तथा प्राप्त किए हैं।

(ख) हमारे विचार में, उन बही खातों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि विधि के अनुपालन में, कंपनी द्वारा लेखों के बही खाते उचित स्थान पर रखे हुए हैं।

(ग) इस रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में ली गई तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के करार के अनुरूप हैं।

(घ) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई सूचना तथा व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है। इसलिए भारत सरकार के दिनांक 5 जून 2016 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(E) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान इस पर लागू नहीं है।

(च) कंपनी के वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इन नियंत्रणों के प्रचालन प्रभाविता के संबंध में अलग रिपोर्ट 'अनुसंलग्नक ख' संलग्न है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे

विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए व्याख्यानों के अनुसार:

क. कंपनी पर कोई मुकदमा नहीं है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव हो।

ख. कंपनी की, संजात संविदा को शामिल करते हुए, कोई दीर्घावधि संविदा नहीं थी जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभास नुकसान हो।

ग. कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा व सुरक्षा कोश में कोई राशि अंतरण हेतु शेष नहीं थी।

घ. वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 नवम्बर 2016 की अधिसूचना संख्या 3407 (E) में परिभाषित जानकारी के अनुपालन में, कंपनी ने दिनांक 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक विशिष्ट बैंक नोटों की होल्डिंग व लेन-देन के संबंध में वित्तीय विवरण में पर्याप्त प्रकटीकरण प्रदान की है। निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा प्रदान तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित बही खातों के अनुसार है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

क्रम संख्या	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी का पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे पर दी गई, क्रमशः भूमि का शीर्षक/ पट्टा विलेख स्पष्ट है? यदि नहीं, पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर दी गई भूमि, जिसके लिए शीर्षक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है, के क्षेत्रफल का विवरण दें।	लेखापरीक्षा अधीन कंपनी मुंबई मेट्रो रेलवे के संचालन हेतु भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी है। परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि हेतु पट्टे पर दी जाने वाली सरकारी/अर्ध सरकारी/नगर पालिकाओं की जमीन के अंतरण हेतु जी आर संख्या MRD 3311/Pra.Kra.149/NaVi-7, मंत्रालय, मुंबई 400032 दिनांक 3 मार्च 2014 द्वारा भारत सरकार का अनुमोदन लिया गया है। इसमें स्थायी जमीन अततह पट्टे पर आधारित अस्थायी जमीन को शामिल किया गया है।

		यद्यपि कंपनी मेट्रो लाइन स्थापित करने के उद्देशय से भूमि के उपयोग का लाभ ले सकती है, अधिगृहीत भूमि के शीर्षक विलेख सरकारी रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन प्रविष्टियों के रूप में बाद में कर लिए जाएंगे। आज तक, कंपनी द्वारा स्वामित्व में ली गई जमीन का स्पष्ट शीर्षक कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। सरकारी एजेंसियों से अब तक कुल 302476 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।
2	क्या उधार/ऋण/ब्याज का अधित्याग/बट्टे खाते डालना इत्यादि का कोई मामला है? यदि है तो उस का का कारण तथा राशि का विवरण दें।	वर्ष के दौरान कंपनी ने रु 30,000/-की राशि बट्टे खाते में डाली है जोकि टीडीएस के रूप में अधिक राशि का भुगतान किए जाने पर मै. कनसलटिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन से प्राप्य थी लेकिन कंपनी ने अन्य कोई लेनदेन न होने के कारण देने से इंकार कर दिया है।
3	अन्य दलों के पास रखे गए स्टॉक तथा सरकार या अन्य प्राधिकारों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त' परिसंपत्तियों का उचित रेकॉर्ड का रखा हुआ है ?	कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी की ऐसी कोई परिसंपत्ति नहीं हुई है तथा परियोजना के लिए जी आर संख्या MRD 3311/Pra.Kra.149/NaVi-7, मंत्रालय, मुंबई 400032 दिनांक 3 मार्च 2014 के अनुसार सरकार द्वारा नाममात्र कीमत 1 रुपया/भूमि के प्रति हिस्से के भाव अलावा कोई परिसंपत्ति गिफ्ट/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

तिथि: 24 जुलाई 2017
स्थान: नई दिल्ली

बी. एन. राव
सांझेदार
स. सख्या 039555

“अनुसंलग्नक ए” स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षिताओं' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में :

(1) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण तथा स्थायी संपत्ति की स्थिति को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दर्शाता उचित रिकॉर्ड रखा हुआ है।

(ख) प्रबंधन द्वारा इसकी स्थायी संपत्ति की चरणबद्ध तरीके, जिसमें एक वर्ष के अंदर 12 महीनों में सभी चीजों की वास्तविक जांच की जा चुकी है। हमारे विचार में, कंपनी के आकार तथा इसके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जांच की अवधि का समय तर्कपूर्ण है। इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कुछ स्थायी सम्पत्तियों की जांच की गई है तथा इस जांच के दौरान लेखा रिकॉर्ड तथा वास्तविक स्थायी परिसंपत्ति में किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं पाई गई है।

(2) वर्तमान में, कंपनी 'रेलवे परियोजना विकास कार्यक्रम' में कार्यरत है तथा तुलन पत्र की तिथि तक कोई व्यापार या माल सूची का स्टॉक प्रभावित करने वाला कंपनी द्वारा किसी प्रकार की प्रचालन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में दर्शाई गई कंपनी, प्रतिष्ठान या अन्य पार्टी को किसी भी प्रकार का, सुरक्षित या असुरक्षित, ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से (ग) कंपनी के लिए लागू नहीं हैं इसलिए उन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है।

(4) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार तथा हमारे विचार में, ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।

(5) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः जनता की जमा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान और अधिनियम के अन्य संबन्धित प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2015 कंपनी पर लागू नहीं है।

(6) हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के संबंध में लागत रेकॉर्ड के अनुरक्षण विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(7) (क) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार तथा कंपनी के बही खातों तथा रेकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अविवादास्पद सांविधिक देय जैसे भविष्य निधि, आय कर, पूंजी कर,

सेवा कर, सीमा शुल्क, कीमत बढ़ोतरी कर, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देय से संबन्धित कटौती/प्रोदभूत राशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से संबन्धित प्राधिकार को जमा किए गए हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक उपर्युक्त के संबंध में कोई अविवादास्पद राशि देय नियत तिथि से 6 महीने से अधिक समय के लिए बकाया नहीं थे।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के प्रथम अपील प्राधिकार के समक्ष निपटान हेतु शेष रु 79,800/- की राशि का टी डी एस दायित्व के अलावा कोई आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, किसी विवाद के कारण बकाया कीमत बढ़ोतरी शुल्क देय नहीं है

(8) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को देय राशि का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (JICA) से नगर विकास मंत्रालय के 'Pass Through assistance' द्वारा रु 736 करोड़ की राशि का कर्ज लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने भारत सरकार से रु 52 करोड़ तथा महाराष्ट्र सरकार से रु 145.79 करोड़ की राशि का कर्ज लिया है जिसमें से रु 90.47 करोड़ की राशि वर्ष की समाप्ति तक प्राप्य है जोकि 27 अप्रैल 2017 को प्राप्त हो गई है। हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि तक किसी भी प्रकार का कर्ज लौटने के लिए देय नहीं है।

(9) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन से प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने सरकारी प्रतिभूतियों तथा उक्त 7 में दर्शाए गए ऋण के अलावा अन्य मियादी ऋण को शामिल करते हुए प्रारम्भिक जन प्रस्ताव या पुनः जन प्रस्ताव के माध्यम से कोई राशि अर्जित नहीं की है। कंपनी ने उसी उद्देश्य हेतु ऋण के लिए आवेदन किया है जिसके लिए उनका पहले आवेदन किया गया था।

(10) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की धोखेबाज़ी न तो पाई गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।

(11) हमारे विचार में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का खंड 4(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(12) हमारे विचार में, संबन्धित पार्टियों से सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा उपयुक्त लेखा मानकों के अनुपालन में, वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं।

(13) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर आधारित तथा प्रबंधन से प्राप्त सूचना व व्याख्यानों के आधार पर, समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई अधिमानी आबंटन या शेयर गिरवी रखना या पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश

के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(14) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर आधारित तथा प्रबंधन से प्राप्त सूचना व व्याख्यानों के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशक या उससे संबन्धित किसी व्यक्ति से गैर नकदी लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(15) हमारे विचार में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

तिथि: 24 जुलाई 2017
स्थान: नई दिल्ली

बी. एन. राव
सांझेदार
स. सख्या 039555

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुसंलग्नक ख

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संयोजन के रूप में तक की मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित (कंपनी) की उस तिथि तक वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शिका नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा अधिष्ठापित वित्तीय रेपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुरक्षण तथा अधिष्ठापन के लिए कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है।

कंपनी अधिनियम के 2013 के अनुसार, कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएँ को रोकने एवं पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग करने, जो उचित एवं तर्कपूर्ण है उसका निर्णय लेने तथा प्राक्कलन करने तथा किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत ब्यान से परे, सही एवं स्पष्ट जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबन्धित लेखा रेकॉर्ड की यथार्थता एवं परिपूर्णता प्रभावपूर्ण सुनिश्चित करने का कार्य करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रूपांकन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करना भी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रेपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। हमने वित्तीय रेपोर्टिंग (मार्गदर्शिका नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियत्रणोंकी लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शिका नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निहित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों, तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू दोनों, जहां तक लागू हो सके, के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है।
उन मानकों तथा मार्गदर्शिका नोट द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा यदि सभी नियंत्रण सभी ढंग से संचालित किए गए तो क्या वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अधिष्ठापित तथा अनुरक्षित रखे गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रेपोर्टिंग तथा उनके संचालनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रेपोर्टिंग पर वित्तीय आंतरिक नियंत्रण को समझना, वास्तविक कमी के अस्तित्व होने से जोखिम का मूल्यांकन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा संचालन प्रभावशीलता की जांच तथा मूल्यांकन करना है। प्रक्रियाओं का चयन वित्तीय विवरणों के गलत विवरण, चाहे किसी गलती से हो या धोखे से, के मूल्यांकन के साथ-साथ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होगा।
हमें विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रेपोर्टिंग हेतु कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय देने में पर्याप्त तथा उचित हैं।

वित्तीय रेपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रेपोर्टिंग हेतु कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रेपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए स्मानया रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देशयों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रेपोर्टिंग हेतु कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों तथा प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो रेकॉर्ड का अनुरक्षण जो उचित विवरण में है तथा सही एवं निष्पक्ष रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा प्रबंध को दर्शाता है तथा
उचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक लेन-देन रिकॉर्ड किया गया है तथा कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कंपनी के निदेशकों तथा प्रबंधन की स्वीकृति से ही की गई हैं तथा वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव डाल सकने वाले अप्राधिकृत अधिग्रहण, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रयोग या निपटान की समय पर जांच या रोक का उचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रेपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमन

वित्तीय रेपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमन के कारण कूटसंधि की संभावना या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन, वास्तविक गलत विवरण को नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी, हमारे समक्ष प्रस्तुत वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर तथा मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार, वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त पाया गया है।

राय

हमारी राय में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शिका नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा अधिष्ठापित वित्तीय रेपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित कंपनी की वित्तीय रेपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा 31 मार्च 2017 तक यह वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सही ढंग से सुचारु है।

आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

तिथि: 24 जुलाई 2017
स्थान: नई दिल्ली

बी. एन. राव
सांझेदार
स. सख्या 039555

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

31 मार्च 2017 तक का तुलन पत्र

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2017 तक रु.	31 मार्च 2016 तक रु
	1	2	3	4
क	**इक्विटी तथा देनदारी**			
1	**शेयरधारकों की राशि**			
	(अ) शेयर पूंजी	1	51,520.00	7,320.00
	(ख) संरक्षित एवं अतिशेष	2	9,631.38	177.87
2	**आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि**	3	20,000.00	0.00
3	**अप्रचलित देनदारी**			
	(क) दीर्घावधि उधारी	4	107,208.79	13,696.37
	(ख) आस्थगित कर दायित्व	5	5.27	
4	**चालू देनदारी**			
	(क)अल्पावधि उधारी	6	6,871.39	12,884.45
	(ख) अन्य चालू देनदारी	7	39,833.58	220.62
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	8	4,141.48	76.72
	कुल		**239,211.89**	**34,376.03**
ख	**परिसंपत्तियाँ**			
1	**अप्रचलित परिसंपत्तियाँ**			
	(क) स्थायी परिसंपत्तियाँ			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	9a	1,343.40	98.76
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9b	27.31	6.65
	(iii) कार्यगत पूंजी	10	80,171.20	9,520.51
2	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	11	49,895.59	16,919.83
	(ख) अल्पावधि ऋण तथा	12	93,711.16	7,826.80

	अग्रिम (ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	14,063.23	3.48
	कुल		**239,211.89**	**34,376.03**
	संलगन वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार नोट्स को देखें	18 19		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..

सनदी लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 110504 W

हस्ता/-

अश्विनी भिड़े

प्रबंध निदेशक

हस्ता/-

अबोध खंडेलवाल

निदेशक (वित्त)

हस्ता/-

बी. एन. राव

सांझेदार

मैम्बरशिप सं 039555

हस्ता/-

ऋतु देब

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 24 जुलाई 2017

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	1	2	3	4
1	प्रचालन से आय		-	-
2	अन्य आय	14	1,440.86	644.70
3	**कुल आय (1+2)**		**1,440.86**	**644.70**
4	**व्यय**			
	(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	15	479.16	-
	(ख)अवमूल्यन एवं परिशोधन व्यय	16	120.93	47.19
	(ग) अन्य व्यय	17	358.03	264.79
	कुल व्यय		**958.12**	**311.98**
5	असाधारण मदें तथा कर (3¬+_4) से पहले लाभ/हानि		**482.74**	**332.72**
6	अपवादात्मक मदें		**0**	
7	कर से पहले लाभ/हानि (5+_6)		**482.74**	**332.72**
8	कर व्यय :			
	(क) चालू वर्ष के लिए कर		523.96	113.99
	(ख) आस्थगित कर		5.27	
	वर्ष के लिए लाभ/हानि (7+_8)		**(46.49)**	**218.73**

9	प्रति इक्विटी शेयर पर आय (प्रत्येक रु 100/-के): 1) मूल 2) तनूकृत		(0.19) -	4.52
10	प्रति इक्विटी शेयर पर आय (असाधारण मदों को शामिल न करते हुए) (प्रत्येक रु 100/-के): 1) मूल 2) तनूकृत		(0.19) -	4.52 -
	विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ' **संलगन वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार नोट्स को देखें**	18 19		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं 110504 W

हस्ता/-
बी. एन. राव
सांझेदार
मैम्बरशिप सं 039555

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 24 जुलाई 2017

हस्ता/-
अश्विनी भिड़े
प्रबध निदेशक

हस्ता/-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
ऋतु देब
कंपनी सचिव

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	कर उपरांत लाभ/हानि	(46.49)	218.73
	समायोजन:		
	अवमूल्यन एवं परिशोधन	120.93	47.19
	आस्थगित कर	5.27	
		79.71	**265.92**
	कार्य पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ		
	समायोजन :		
	अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	(85,884.36)	(7,825.82)
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(14,059.75)	16.70
	अल्पावधि उधारी	(6,013.05)	4,692.03
	अन्य चालू देनदारी	39,612.96	211.33
	अल्पावधि प्रावधान	4,064.76	56.25
	प्रचालन से `उत्पन्न नकदी	**(62,199.73)**	**(2,583.59)**
	अपवादात्मक मदों से नकदी प्रवाह		
	(प्रयोग)/प्रचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	**(62,199.73)**	(2,583.59)
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**	-	
	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीदी	(1,386.22)	(87.71)
	कार्यरत पूंजी में वृद्धि	(70,650.69)	(2,754.39)
	(प्रयोग)/निवेशी क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	(72,036.91)	(2,842.10)
		-	
ग	**वित्तीयन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**	-	
	एक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	44,200.00	7,315.00
	दीर्घावधि उधारी	93,512.42	13,696.37
	पूंजी संरक्षण	9,500.00	500.00
	आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि	20,000.00	
	(प्रयोग)/वित्तीयन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (ग)	167,212.42	21,511.37

	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध बदलाव	32,975.76	16,085.68
	नकदी एवं नकदी समतुल्य का अथ शेष	16,919.83	834.15
	नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंत शेष	49,895.59	16,919.83

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..

सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं 110504 W

हस्ता/-
अश्विनी भिड़े
प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-

बी. एन. राव

सांझेदार
मैम्बरशिप सं 039555

हस्ता/-
ऋतु देब
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 24 जुलाई 2017

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 1 शेयर पूंजी **(राशि लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2017 तक		31 मार्च 2016 तक	
	शेयरों की संख्या	रुपए	शेयरों की संख्या	रुपए
(क) अधिकृत रु 100/- प्रति इक्विटी शेयर	500,000,000	500,000.00	500,000,000	500,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त रु 100/- प्रति इक्विटी शेयर	51,520,000	51,520.00	7,320,000	7,320.00
कुल	**51,520,000**	**51,520.00**	**7,320,000**	**7,320.00**

(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में बकाया शेयरों की संख्या तथा राशि का मिलान:
(राशि लाख में)

विवरण	अथ शेष	नए जारी शेयर	बोनस शेयर	अंत शेष
मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर				
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष				
शेयरों की संख्या	7,320,000	44,200,000		51,520,000
राशि (रु)	7,320	44,200.00		51,520.00
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष				
शेयरों की संख्या	5,000	7,315,000	-	7,320,000
राशि (रु)	5	7,315.00	-	7,320.00

(ii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

शेयर का प्रकार/शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2017 तक		31 मार्च 2016 तक	
	धारित शेयरों की संख्या	उस प्रकार के शेयर की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	उस प्रकार के शेयर की प्रतिशतता
मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर				
महाराष्ट्र सरकार तथा इसके मनोनीत	25,760,000	50	3,660,000	50
भारत के राष्ट्रपति तथा इसके मनोनीत	25,760,000	50	3,660,000	50

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 2 रिसर्व एवं अतिशेष (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
(क) पूंजी आरक्षित*	10,000.00	500.00
(ख) लाभ/हानि के विवरण में अधिशेष/कमी		
01-04-2016 तथा 01-04-2017 को अथ शेष	(322.13)	(540.87)
जमा: वर्ष का लाभ/हानि	(46.49)	218.73
	-----------------	-----------------
आगे भेजा गया शेष	(368.62)	(322.13)
कुल (क+ख)	9,631.38	177.87

***स्पष्टीकारक नोट**

पूंजी आरक्षित में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

i) एम एएआई आई एल से प्राप्त रु 100 करोड़ का उपदान.

ii) संरक्षित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (रु. 5.00) & पट्टे पर संरक्षित भूमि (रु. 32.00)

नोट 3 आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन पूंजी

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
क) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	10,000.00	-
ख) महाराष्ट्र सरकार (महाराष्ट्र के राज्यपाल)	10,000.00	-
कुल	20,000.00	-

स्पष्टीकरण नोट:

कंपनी ने राज्य तथा केंद्र सरकार से मिलान योगदान प्राप्त कर लिया है लेकिन बोर्ड बैठक की तिथि के लिए शेष है क्योंकि प्रस्ताव पत्र बोर्ड बैठक में ही जारी किया जा सकता है।

नोट 4 दीर्घावधि उधारी (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
(क) उधारी		
भारत सरकार से ऋण (उप-ऋण))	8,232.00	3,032.00
महाराष्ट्र सरकार से ऋण (उप-ऋण))	14,579.00	-
पी.टी.ए. द्वारा जे.आई.सी.ए. ऋण	84,397.79	10,664.37
कुल	107,208.79	13,696.37

नोट 5 आस्थगित कर दायित्व (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
आस्थगित कर दायित्व	5.27	
कुल	**5.27**	**0.00**

नोट 6 अल्पावधि उधारी (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	6,340.00
संबन्धित पार्टियों से ऋण (ऋण ब्याज मुक्त हैं)	6,871.39	6,544.45
कुल	**6,871.39**	**12,884.45**

नोट 7 अन्य चालू देयताएं (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
(क) व्यय हेतु देनदारी		
सिविल ठेकेदारों को देय	30,542.65	-
सामान्य परामर्शदाता को देय	1,936.87	93.99
परामर्शदाता, ठेकेदार/विक्रेताओं तथा अन्य को देय	249.71	63.91
लेखापरीक्षक को देय	7.34	0.70
बकाया व्ययों हेतु देय	12.73	-
(ख) अन्य देय		
देय ई.एम.डी	81.66	6.00
अमानत जमा	12.16	-
बैंक गारंटी हेतु अवधारण राशि	-	-
- सिविल निविदा पर	2,411.65	-
- अन्य निविदा पर	25.71	-
(ग) सांविधिक देय राशि		
देय टी.डी.एस.	1,564.34	45.14
देय डब्ल्यू टी डी एस तथा श्रम उपकर	647.95	0.30
देय सेवा कर तथा उपकर	2,319.48	-
देय व्यवसाय कर	0.40	0.26
देय सा.भ.नि/अं.भ.नि./कर्म.भ.नि.	20.93	10.32
कुल	**39,833.58**	**220.62**

नोट 8 अल्पावधि प्रावधान (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
(क) प्रावधान		
देय उपदान, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	93.53	22.44
कर्मचारियों को देय राशि	38.32	2.63
व्यय व अन्य देय	10.22	-
बकाया जी सी व्यय	3,471.30	-
जिका ऋण पर अदेय प्रोद्भूत ब्याज *	4.15	-
देय आय कर		
-------- वित्त वर्ष 16-17	523.96	
-------- विततित वर्ष 15-16		51.65
कुल	**4,141.48**	**76.72**

* जिका ऋण पर ब्याज 20 मार्च 2017 को देय है।

मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट . 9 (क+ख) : स्थायी परिसंपत्ति (राशि लाख में)

क्रम सं	विवरण	सकाल ब्लॉक				मूल्यह्रास/अवमूल्यन				शुद्ध ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2016 को शेष	जमा/कटौती	पुनर्मूल्यांकन	31 मार्च 2017 तक शेष	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/अवमूल्यन	निपटान के लिए	31 मार्च 2017 को शेष	31 मार्च 2017 को शेष	31 मार्च 2016 को शेष
नोट 9क	**क) मूर्त स्थायी परिसंपत्तियाँ**										
1	# भूमि		1,110.22		1,110.22				0	1,110.22	-
2	कम्प्यूटर एवं बाह्य उपकरण	60.53	212.66		273.19	31.10	70.49		101.59	171.60	29.43
3	कार्यालय उपकरण एवं अन्य	23.92	19.80		43.72	2.56	11.42		13.98	29.74	21.36
4	मोटर कार	70.87			70.87	22.89	16.14		39.03	31.84	47.97
	कुल	**155.32**	**1,342.68**		**1,498.00**	**56.56**	**98.05**		**154.60**	**1,343.40**	**98.76**
	गत वर्ष	**67.60**	**87.71**		**155.32**	**9.37**	**47.19**		**56.56**	**98.76**	
नोट 9 ख	**ख) अमूर्त स्थायी परिसंपत्तियाँ**										
5	सॉफ्टवेयर/ अनुज्ञप्ति शुल्क तथा अन्य लागत	6.65	43.54		50.18		22.88		22.88	27.31	6.65
	कुल	**6.65**	**43.54**	**0**	**50.18**	**0**	**22.88**	**0**	**22.88**	**27.31**	**6.65**
	गत वर्ष		6.65		6.65					**6.65**	

वर्ष के दौरान अधिगृहीत भूमि को स्वामित्व हेतु सरकार के आदेश के आधार पर पूंजीकृत किया जा चुका है लेकिन कनवेयनसिंग हेतु कानूनी औपचारिकता चालू है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 10 प्रगति में कार्य पूंजी (राशि लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	01 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	31 मार्च 2017 तक
		(क)	(ख)	(ग= क+ख)	ग
I	**परियोजना मेट्रो 3**				
	-				
क	सिविल निर्माण लागत	1,000.00	46,951.24	47,951.24	47,951.24
II	**आबंटन हेतु शेष अन्य आकस्मिक व्यय**				
क	विज्ञापन व्यय	69.01	90.42	159.43	
ख	उधारी लागत	0.37	*	-	
ग	कार किराया व्यय	-	192.76	192.76	
घ	परामर्श शुल्क	7,343.41	17,431.04	24,774.45	
ड़	कार्मिक पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय	711.78	1,244.15	1,955.92	
च	पट्टे की लागत तथा अन्य पट्टे व्यय	7.50	2,898.05	2,905.55	
छ	विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क व्यय	168.36	137.94	306.30	
ज	अनुज्ञप्ति शुल्क/स्टम्प शुल्क तथा भूमि से संबन्धित अन्य शुल्क	24.17	(3.84)	20.33	
झ	बैठक एवं सम्मेलन व्यय	14.64	21.75	36.39	
ह	अन्य निर्माण लागत	-	50.92	50.92	
त	परियोजना अध्यन्न व्यय	27.24	29.13	56.37	
थ	पुनर्वासन तथा पुनर्निवेशन लागत	13.41	438.91	452.32	
द	किराया/दर/कर (सी ई)		1,524.82	1,524.82	
ध	सुरक्षा कार्मिक व्यय	102.53	297.66	400.19	

न	शेयर जारी करने पर स्टम्प ड्यूटी	7.32	44.20	51.52		
प	यात्रा व्यय	30.77	47.08	77.85		

	कुल आकस्मिक व्यय			32,965.13		
	(-) निविदा शुल्क		(14.66)			
	(-) पी टी ए पर अर्जित असमायोजित ब्याज आय का समायोजन		(944.85)			

				(959.51)		
				-------------	32,005.63	
III	**<u>कार्यगत पूंजी के अंतर्गत अन्य स्थायी परिसंपत्ति</u>**					
	-					
A	मूर्त स्थायी परिसंपत्ति					
	बिल्डिंग (कार्यगत पूंजी)	-		(2.73)		
B	सॉफ्टवेयर कार्यगत पूंजी	-		217.07		
				-------------	214.34	
						214.34
			9,520.51	**70,651.06**	------ -------	**80,171.20**
	गत वर्ष		**5,007.17**	**4,513.34**	------ -------	**9,520.51**

स्पष्टीकारक नोट:

1) सिविल निर्माण लागत में वर्ष के दौरान डिपो निर्माण के लिए खर्च की गई रु 1.72 करोड़ की राशि को सम्मिलित किया गया है।

2) परामर्श शुल्क में सामान्य परामर्श शुल्क, जोकि संगठित अग्रिम रु 1.11 करोड़ की राशि पर अर्जित ब्याज के समायोजन के उपरांत दिखाया गया था, को शामिल किया गया है।

3)* लेखा मानक 16 के अनुसार, ब्याज आय रु 1.38 करोड़ (पी टी ए पर अर्जित) को उधर लागत में समायोजित किया गया था।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 11 नकदी एवं नकदी समतुल्य (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक रु	31 मार्च 2016 तक रु
(क) नकदी	-	0.00
(ख) बैंकों में जमा राशि		
(i) चालू खातों में *	333.38	7,093.76
(ii) अल्पावधि जमा	49,562.21	9,826.07
कुल	**49,895.59**	**16,919.83**

* चालू खातों में जमा राशि में आई सी आई सी आई बैंक के एस्करो खाते में जमा रु 284.00 को शामिल किया गया है।

नोट 12 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक रु	31 मार्च 2016 तक रु
i) ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		
सिविल ठेकेदारों को अग्रिम		
- गतिमान करने हेतु अग्रिम सुरक्षित (अच्छा समझा जाने वाला) (बैंक गारंटी द्वारा आवृत)	46,004.06	-
- प्लांट तथा मशीनरी अग्रिम सुरक्षित (अच्छा समझा जाने वाला) (बैंक गारंटी द्वारा आवृत)	47,578.29	-
सामान्य परामर्शदाता को अग्रिम सुरक्षित (अच्छा समझा जाने वाला) (बैंक गारंटी द्वारा आवृत)	120.99	7,826.49
ii) स्टाफ को अग्रिम		
परियोजना अध्यन्न अग्रिम	6.13	-
स्टाफ को अग्रिम	1.69	0.31
कुल	**93,711.16**	**7,826.80**

नोट 13 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
i) जमा		
भू स्वामी के पास जमा	106.97	-
विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के पास जमा	1.20	0.46
i) प्राप्य		
महाराष्ट्र सरकार से उप ऋण	9,047.00	-
एम आई ए एल से प्राप्य अनुदान	4,000.00	-
सामान्य परामर्शदाता	52.31	-
एम एम आर डी ए(ई एम डी एवं निविदा शुल्क)	63.14	-
अन्य विक्रेता	2.31	0.32
ii) अन्य		
पूर्वदत्त बीमा		
पूर्वदत्त व्यय	2.08	0.27
जमा सेवा कर	-	2.43
अग्रिम कर दत्त (वित्त वर्ष 16-17)	535.56	-
टी डी एस प्राप्य (वित्त वर्ष 16-17)	252.66	-
कुल	**14,063.23**	**3.48**

स्पष्टीकारक नोट:

1) कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार से 27 अप्रैल 2017 को आर टी जी एस के माध्यम से उप ऋण प्राप्त किया है।

1) कंपनी ने एम आई ए एल से 25 मई 2017 को आर टी जी एस के माध्यम से उप ऋण प्राप्त किया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 14 अन्य आय (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
(i) मियादी जमा पर ब्याज	1,439.96	623.39
(ii) अन्य आय	0.90	21.31
कुल	**1,440.86**	**644.70**

नोट15 कर्मचारी हितलाभ व्यय (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
(i) वेतन एवं मजदूरी	414.69	-
(ii) भविष्य निधि तथा अन्य कोश में अंशदान	41.83	-
(iii) स्टाफ कल्याण व्यय	22.64	-
कुल	**479.16**	**-**

नोट 16 मूल्यह्रास एवं अवमूल्यन व्यय (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
मूल्यह्रास एवं अवमूल्यन	120.93	47.19
कुल	**120.93**	**47.19**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 17 अन्य व्यय (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
विज्ञापन व्यय	5.96	-
बैंक प्रभार	2.31	0.75
कार किराए पर लेने का व्यय	52.60	84.18
कंपनी पंजीकृत कार्यालय फीस	0.26	0.29
बिजली व्यय	25.47	15.16
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	3.05	-
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	18.85	16.81
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	46.62	20.90
मोटर कार व्यय	8.67	7.84
अखबार एवं पत्रिका व्यय	0.22	0.11
कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय	14.88	18.59
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	4.60	0.34
डाक एवं तार व्यय	0.90	0.10
मुद्रण एवं सामग्री	31.60	29.77
पूर्व अवधि मदें (संदर्भ नोट संख्या.17 (क))	5.87	1.69
दरें एवं कर	40.06	4.24
परिसर का किराया	31.81	-
मुरम्मत एवं अनुरक्षण	18.01	38.24
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.40	0.40
दूरध्वनी एवं इंटरनेट व्यय	11.39	11.79
यात्रा व्यय	34.42	13.15
पानी प्रभार	0.08	0.44
कुल	**358.03**	**264.79**

नोट: 17 (क) पूर्व अवधि समायोजन (राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	रु	रु
क) कार किराए पर लेने का व्यय	-	1.61
ख) वित्त वर्ष 15-16 के लिए टी डी एस पर ब्याज तथा आय कर	5.87	0.08
कुल	**5.87**	**1.69**

18 विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ

18.1लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण लेखांकन के प्रोद्भूत तथा जारी रहने के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अंतर्गत तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संबन्धित प्रावधानों तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 तथा धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अभी वास्तविक तथ्यों के अनुपालन हेतु तैयार एवं प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी ने भारत में समान्यतः लेखांकन सिद्धांतों एवं लेखांकन नीतियों का नियमित रूप से प्रयोग किया है।

18.2 वित्तीय विवरणों का निर्माण

तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार एवं प्रस्तुत किए गए हैं। नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक (ए.एस.) 3 "नकदी प्रवाह विवरण" की अपेक्षताओं के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण में मदों के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षताएं अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित अधिसूचित लेखांकन मानकों के अंतर्गत प्रकट किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य टिप्पणियों के साथ लेखों की टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं।

18.3 प्राक्कलनों का प्रयोग

समान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरुप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं, राजस्व तथा व्यय की रिपोर्ट की गई राशि पर प्रभाव डालने वाले प्राक्कलनों तथा धारणाओं का निर्माण करने की अपेक्षा होती है। प्रबंधन का विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्मित प्राक्कलन तर्क पूर्ण हैं। भावी अवधि का वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता था। लेखांकन प्राक्कलनों में किसी प्रकार का संशोधन उसी अवधि में अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में संशोधन किए गए हैं।

18.4 स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं कार्यगत पूंजी

i. मूर्त स्थायी परिसंपत्तियाँ

स्थायी परिसंपत्तियाँ उनकी अधिग्रहण/निर्माण की मूल लागत से संचयित मूल्यह्रास एवं हानि, यदि कोई, पर दर्शाई जाती हैं। लागत में खरीदी लागत तथा परिसंपत्ति को उनकी वर्तमान स्थान तक लाने एवं चलायमान करने में होने वाले सभी आकस्मिक व्यय जैसे माल भाड़ा, शुल्क, कर तथा अन्य आकस्मिक व्यय को शामिल किया जाता है।

ii. भूमि

क. परियोजना उद्देशय से भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार से कंपनी द्वारा प्राप्त राशि को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में माना जाता है तथा उद्देशय के लिए व्यय की गई राशि को भूमि की लागत में शामिल किया जाता है।

ख. "परियोजना प्रभावित लोगों" के पुनर्वास की लागत के संबंध में छूट, प्रतिस्थापन इत्यादि को कार्यगत पूंजी में दर्ज किया गया है तथा इसकी समाप्ति पर संबन्धित परिसंपति की लागत में जमा कर दिया जाएगा।

ग. कंपनी को झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास (एस आर ए) और महाराष्ट्र गृह एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण से परियोजना प्रभावित लोगों को आबंटन हेतु किराए के घर मिले हैं। उस भूमि तथा बिल्डिंग का स्वामित्व सोसाइटी के निर्माण तक मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के पास रहेगा।

iii. अमूर्त स्थायी परिसंपत्तियाँ

लेखांकन मानक 26 के अनुसार, "अमूर्त परिसंपत्तियाँ" को दर्शाये गए निम्न मापदण्डों को ग्रहण करने के उपरांत परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया:

क. अभिज्ञेय

ख. नियंत्रण

ग. भावी आर्थिक लाभ

iv. विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में सॉफ्टवेयर लाइसेन्स तथा कार्यान्वन/विकास अधीन सॉफ्टवेयर के लिए दत्त राशि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा उक्त को अमूर्त परिसंपत्तियों में तब शामिल किया जाएगा जब उन्हें परिसंपत्तियों के फलस्वरूप माना जा सके तथा जब यह संभव हो जाए परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ उद्यम में आने लगेंगे तथा परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सके।

v. कार्यगत पूंजी

1. कार्यगत पूंजी में कंपनी की परियोजना के कार्यान्वयन अवधि के दौरान किए गए निर्माण से संबन्धित सभी प्रत्यक्ष तथा फलस्वरूप अप्रत्यक्ष व्यय (योग्य जमीन, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण या अधिग्रहण के लिए ऋण राशि से संबन्धित वित्तीयन लागत को शामिल करते हुए) को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के कुल व्यय को निर्धारित परियोजना फेस के पूरा होने तक कार्यगत पूंजी के रूप में रखा जाता है। इसके बाद उक्त राशि को अभिज्ञेय के रूप में अंतरित किया जाएगा।
2. स्वामित्व वाली पट्टा धारित भूमि को शामिल क़रते हुए भूमि से संबन्धित लागत एवं छूट के लिए देयता दर्शाई गई या अनंतिम भुगतान तथा परिसंपत्ति की भौतिक विद्यमानता की पहचान करने के लिए दत्त शुल्क को कार्यगत पूंजी की लागत समझा जाता है।

3. कंपनी को 'परियोजना प्रभावित लोगों' को अर्हता से अधिक स्थान किराए पर देने के लिए राशि प्राप्त हुई है जिसे पुनर्वास एवं पुंर्स्थापन की लागत में समायोजित किया जाता है।

18.5 निर्माण के दौरान ब्याज का विनियोजन

वर्ष के दौरान चालू योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण अवधि के दौरान ब्याज को कार्यगत पूंजी में चालू परिसंपत्तियों की कीमत के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

18.6 मूल्यह्रास एवं अवमूल्यन

निम्न परिसंपत्तियों के अलावा जिनका उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उन स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रिटन डाउन वैल्यू के आधार पर परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया जाता है:

परिसंपत्ति की प्रकृति	अनुमानित उपयोगी जीवन
कम्प्यूटर एवं बाह्य उपकरण	3 साल
कार, कुर्सी एवं मेजें	8 साल
फर्नीचर और जुड़नार, अन्य इत्यादि	5 साल

परिधीय प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर का अवमूल्यन अप्रचलित होने वाले वर्ष में किया जाता है तथा इसके अलावा अमूर्त परिसंपत्तियों का अवमूल्यन इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर किया जाता है।

पूंजीकृत मुख्य परिसंपत्ति का अभिन्न हिस्सा माने जाने वाली मौजूदा परिसंपत्ति में बढ़ोतरी/कटौती पर मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया जाता है।

18.7 परिसंपत्तियों की हानि

"परिसंपत्तियों की हानि" पर लेखांकन मानक 28 के अनुसार, परिसंपत्ति को तब खराब समझा जाता है जब रखाव लागत इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाए।

18.8 विदेशी मुद्रा

क. कंपनी की रेपोर्टिंग मुद्रा भारतीय रुपया है।.

ख. विदेशी मुद्रा व्यवहार प्रारम्भ में लेन-देन की तिथि पर विनिमय दर से रिकॉर्ड रिपोर्टिंग मुद्रा में किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, विदेशी मुद्रा आर्थिक मदें अंतिम दर पर रिपोर्ट की जाती हैं।

ग. विदेशी मुद्रा में नामित ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर मौद्रिक मदें व्यवहार की तिथि पर विनिमय दर पर रिपोर्ट की जाती हैं।

घ. स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबन्धित मौद्रिक मदों में विदेशी विनिमय अंतर को पूंजीकरण पूर्व स्थायी परिसंपत्ति/कार्यगत पूंजी से संबन्धित रखाव लागत में समायोजित किया जाता है। उस अवधि में घटित अन्य विनिमय अंतर को आय या व्यय के रूप में उसी अवधि में दर्ज कर लिया जाता है।

18.9 उधारी लागत

ब्याज, प्रतिबद्धता प्रभार, सहायक लागत का अवमूल्यन, ऋण से संबन्धित छूट/अधिशुल्क का मूल्यह्रास, वित्त पट्टे पर अधिगृहीत परिसंपत्ति के संबंध में वित्त प्रभार तथा ब्याज लागत में समायोजित किए जाने की हद तक विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतर को उधारी लागत में शामिल किया जाता है।

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण उधारी लागत को उस परिसंपत्ति की लागत में उस समय तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक वह परिसम्पत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती। योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो प्रयोग या बिक्री हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है।

18.10 राजस्व पहचान

लेखांकन मानक 9 "राजस्व पहचान" के अनुसार, कंपनी की परियोजना की अक्षय निधि से निवेश पर प्राप्त ब्याज (Pass Through Assistance द्वारा पी.टी.ए-जिका लोन के अलावा) की बकाया राशि तथा उचित ब्याज दर पर समय अनुपात के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

चालू वित्त वर्ष में किए गए राजस्व व व्यय की मदें, जोकि प्रत्यक्ष रूप से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन में संबन्धित नहीं है, को लाभ एवं हानि विवरण में राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

अन्य गैर संचालन आय (ब्याज आय के अलावा) को रसीद आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

18.11 कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभ के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियाँ निम्नलिखित हैं:

i. भविष्य निधि: कंपनी के योग्य कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के अंतर्गत विशिष्ट प्रतिशत योजना पर हितलाभ के लिए हकदारित हैं जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों हकदारित कर्मचारी वेतन का मासिक अंशदान देते हैं। अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाता में जमा किया जाता है।

ii. उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, उन सभी कर्मचारियों को उपदान देय है जिन्होने 5 वर्ष या अधिक वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली है। उपदान राशि लेखांकन मानक 15 के अनुसार प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है।

iii. अर्जित छुट्टी: प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मानव प्रबंधन नीति के तहत कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी का लाभ प्रदान करती है। लेखांकन मानक 15 के अनुसार प्रावधान की गई

राशि प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

18.12 आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर कर आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अभिकलित कर योग्य आय तथा जमा कर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर की वित्तीय विवरणों में अभिकल्पित आय तथा कर योग्य आय के बीच के समय अंतराल पर पहचान की जाती है जो एक अवधि में उत्पन्न होने वाली तथा एक या अधिक आगामी अवधि में व्युत्क्रम के योग्य हो। अनावशोषित मूल्यह्रास या आगे ले जाए गए नुकसान या आस्थगित कर परिसंपत्तियों या अन्य अंतराल द्वारा प्रभावित अन्य मदो की केवल तब पहचान की जाती है जब उस परिसंपत्ति की वसूली की निश्चितता हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उस कीमत तक पहचान की जाती है जिस कीमत तक भविष्य में उनकी वसूली की निश्चितता हो। इस प्रकार की परिसंपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है।

18.13 पट्टे

यह निर्धारित करने के लिए कि पट्टा एक समझौता है, या इसमें शामिल है अपने स्थापना की तारीख से यह समझौते की अवधि पर आधारित होता है। परिभाषित परियोजना चरण पूरा होने तक 12 वर्ष से कम अवधि के लिए कार्यगत पूंजी के रूप में कम अवधि के पट्टे पर विचार किया जाता है जिसके बाद ही उसे पहचान योग्य स्थिर परिसंपत्तियों में स्थानांतरित/आबंटित किया जाएगा। अन्य दीर्घावधि पट्टे पर परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है।

18.14 प्रति शेयर आय

कंपनी "प्रति शेयर आय" पर लेखा मानक -20 के अनुसार प्रति शेयर आय (ईपीएस) की रिपोर्ट करती है। कंपनियों की पहचान करने में कंपनी की ईपीएस में कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि शामिल है। तुलनपत्रकी तिथि के अनुसार बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा वर्तमान अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि को विभाजित करके प्रति शेयर बेसिक आय (बीईपीएस) की गणना की जाती है।

18.15 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाये गए नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद रोकड़, चालू खातों में शेष, मियादी जमा, बैंक में विशेष परियोजन हेतु शेष तथा अन्य शेष जिन पर प्रतिबद्धता है या जिन्हें वापिस लिया जा सकता है, को शामिल किया गया है। लघु अवधि या नकद निवेश, जो कि कीमत में किसी विशेष जोखिम के बदलाव से मुक्त नहीं हैं, को नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल नहीं किया जाता है।

18.16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

प्रावधान, देनदारियों के लिए पहचाने जाते हैं जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है, यदि

क. अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व है
ख. संसाधनों के एक संभावित बहिर्वाह से दायित्व तय करने की उम्मीद है और
ग. दायित्व की मात्रा का मज़बूती से अनुमान लगाया जा सकता है

किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की उम्मीद केवल तब ही पहचानी जाती है जब निश्चित रूप से प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी ।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण इन मामलों में किया जाता है,

क. आकस्मिक देयता का खुलासा पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो जाएगा;
ख. घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है;
ग. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है

आकस्मिक संपत्तियों को न तो मान्यता प्राप्त है, न ही प्रकटीकरण है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में प्रावधान और आकस्मिक देयताएं की समीक्षा की जाती है।

18.17 प्रतिबद्धता

प्रतिबद्धता संविदा संबंधी व्यय हेतु भविष्य की देयता है।

प्रतिबद्धता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत तथा प्रकट किया जाता है:

क. पूंजी लेखों पर किया जाने वाले शेष कार्य तथा प्रदान न की गई अनुमानित राशि
ख. अन्य रद् न किए जाने वाली प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई, प्रबंधन की राय में वास्तविक तथा संबन्धित समझी जाने वाली।

18.18 नकदी प्रवाह विवरण:

नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों को अलग करने के लिए तैयार किया जाता है। संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सूचित किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि के तहत, शुद्ध लाभ के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है:

i. गैर नकदी प्रकृति का लेनदेन

ii. पिछले या भविष्य के संचालन नकदी रसीदों या भुगतानों का कोई भी आस्थगन और प्रोद्भूत

iii. निवेश या वित्तीयन के नकदी प्रवाह से जुड़ी आय या व्यय की मदें

नकदी प्रवाह विवरण में नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक शेष सहित) परिलक्षित होता है। उन नकदी या नकदी समतुल्य को जो सामान्य उपयोग के लिए तुलनपत्र की तारीख के मुताबिक उपलब्ध नहीं हैं, वे भी इस श्रेणी में एक विशिष्ट प्रकटीकरण के साथ शामिल किए जाते हैं।

18.19 निवेश:

निवेश, जो आसानी से उपलब्ध है और अधिग्रहण तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखे नहीं जाना है , को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

वर्तमान निवेश लागत और उचित मूल्य से कम पर किया जाता है। प्रत्येक निवेश के भारित औसत लागत के आधार पर इस तरह के निवेश की मात्रा का निर्धारण किया जाता है।

निवेश से संबंधित सभी मामलों को निवेश समिति द्वारा माना और उनका प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में सभी निवेश बैंकों के साथ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में हैं, जो एक साल से भी कम की परिपक्वता के साथ हैं।

19. **31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का टिप्पणी आधार**

19.1 कॉर्पोरेट सूचना

कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित (कंपनी पहचान सं U60100MH2008SGC181770) का निगमीकरण किया गया था। कंपनी भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50अनुपात की संयुक्त उद्‌यम है। कंपनी का उद्देशय क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के लिए जो नगरीय रेल प्रणाली से जुड़े हुए नहीं है उनके लिए "रेल आधारित अधिक क्षमता वाली परिवहन सुविधा: प्रदान करना है तथा मेट्रो प्रणाली को 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की पहुँच तक लाना है।
संयुक्त उद्‌यम भागीदारों द्‌वारा समान रूप से मनोनीत अकार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक को रखने वाला इसका एक स्वतंत्र बोर्ड है। कंपनी भारत सरकार की विशेष उद्देशय संस्था है तथा तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) के प्रावधान इस पर लागू हैं।

19.2 भूमि

कंपनी ने परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार तथा ग्रेटर मुंबई नगर पालिका से जमीन प्राप्त की है। स्थायी 1 रुपया प्रति जमीन पर पट्टे पर प्राप्त भूमि के नाम से रिकॉर्ड किया है। सरकारी निकायों से अधिगृहीत भूमि भू अधीक्षक तथा जिलाधीश के अनुमोदन के उपरांत महाराष्ट्र सरकार द्‌वारा जारी सरकारी संकल्प के अनुसार है।

19.3 कार्यगत पूंजी

लेखांकन मानकों के अनुपालन में, वित्तीय विवरण तैयार करते समय कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है।

- निर्माणाधीन अवधि के दौरान की आय जैसे जिका ऋण के माध्यम से पी टी ए से प्राप्त ब्याज आय (इक्विटी,ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण तथा अनुदान से प्राप्त राशि के अस्थायी परिनियोजन से प्राप्त आय के अलावा), निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि को निर्माण के दौरान व्यय में समायोजित किया गया है।

- पैकेज 7 के संरेखण में प्रस्तावित मेट्रो लाइन में कुछ बदलाव के दौरान कंपनी को सैफी फाउंडेशन से रु 100 लाख प्राप्त हुए हैं जोकि परियोजना हेतु हुए व्यय में समायोजित किए गए थे।

- वर्ष के दौरान, लेखांकन नीतियों में बदलाव के अनुसार, भर्ती शुल्क तथा निविदा शुल्क के सम्मेलन से लगभग रु 24.49 लाख के अप्रत्यक्ष कर को कार्यगत पूंजी में समायोजित किया गया है हालांकि गत वर्ष के अप्रत्यक्ष कर रु 21.17 लाख को लाभ एवं हानि विवरण में समायोजित किया गया था।

- वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया रु 81.50 लाख का यात्रा व्यय को तकनीकी तथा गैर तकनीकी स्टाफ द्वारा उनके उपयोग के अनुपात में बांटा गया है। और तदनुसार, तकनीकी कर्मचारियों से संबधित व्यय रु 47.08 लाख को कार्यगत पूंजी में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित व्यय रु 34.42 लाख को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है हालांकि गत वर्ष में यात्रा व्यय रु 30.77 लाख को पूर्ण रूप से कार्यगत पूंजी में शामिल किया गया था।

- वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया रु 1723.21 लाख का कर्मचारी हितलाभ को तकनीकी तथा गैर तकनीकी स्टाफ द्वारा उनके उपयोग के अनुपात में बांटा गया है। और तदनुसार, तकनीकी कर्मचारियों से संबधित व्यय रु 1244.15 लाख को कार्यगत पूंजी में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित व्यय रु 479.16 लाख को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है हालांकि गत वर्ष में कर्मचारी हितलाभ रु 711.78 लाख को पूर्ण रूप से कार्यगत पूंजी में शामिल किया गया था।

- वर्ष के दौरान, कंपनी ने जिका से प्राप्त प्रयोग न होने वाली राशि को अभिनियोजित किया था तथा रु 1082.79 लाख की ब्याज आय अर्जित की थी। लेखांकन मानक 16 के द्वारा दिए गए लेखांकन व्यवहार का अनुसरण करते हुए, अर्जित ब्याज को पहले रु 137.93 लाख दत्त ब्याज में समायोजित किया गया और शेष रु 944.85 लाख को कार्यगत पूंजी में समायोजित किया गया है, हालांकि गत वित्त वर्ष में, नियादी जमा पर अर्जित सम्पूर्ण ब्याज रु 30.55 लाख को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया था।

19.4 विदेशी मुद्रा

वर्ष के दौरान सामान्य परामर्शदाता को रु 1858.01 लाख (गत वर्ष 2731.97 लाख) तथा सिविल ठेकेदारों को रु 22962.35 लाख(गत वर्ष निरंक) की विदेशी मुद्रा की अदायगी की गई थी।

19.5 **कर्मचारी हितलाभ**

बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर, उपदान का प्रावधान रु 20.82 लाख (गत वर्ष 6.95 लाख) तथा छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान रु 39.48 लाख (गत वर्ष 13.09 लाख) है।

19.6 पट्टा

कंपनी ने कर्मचारियों के किराए के आवास के लिए करार किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए किराए के रूप में रु 84.73 लाख(गत वर्ष निरंक) का भुगतान किया है।

19.7 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण आकस्मिक परिसंपत्तियाँ निरंक (गत वर्ष -निरंक) हैं

कंपनी की निम्नलिखित आकस्मिक देयताएँ है:-

क्रम सं.	**देयता/आरोप की प्रकृति**	**राशि**
1	सिविल ठेकेदारों को देय सिविल ठेकों से संबंधित सेवा कर देयता	रु **1777.45** लाख
2	परियोजना प्रभावित लोगों से संबन्धित	संबन्धित समिति के दस्तावेजों तथा निरण्य पर आधारित, इसलिए अभी तक राशि निर्धारित नहीं की गई है।
3	परियोजना प्रभावित लोगों को आबंटन हेतु कंपनी को झुग्गी पुनरावास क्षेत्र तथा महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं बिल्डिंग दी गई है।	किसी भी प्रकार की बड़ी या छोटी मुरम्म्त तथा अनुरक्षण समिति के गठन तक एम एम आर सी एल द्वारा कि जाएगी जिसका तुलन पत्र की तिथि तक निर्धारण नहीं किया गया है।
4	नीना दीपक वर्मा बनाम वन अधिकारी, एम सी जी एम, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र राज्य	मुक़द्दमा धन से संबन्धित मुद्दो से संबन्धित नहीं है। अतः आकस्मिक देयता में शामिल करने की आवश्यकता नही है।
5	श्रीमती परवीन जहाँगीर एवं अन्य	मुक़द्दमा धन से संबन्धित मुद्दो से संबन्धित नहीं है। अतः आकस्मिक देयता में शामिल करने की आवश्यकता नही है।

6	वनशक्ति बनाम 1. भारत के संघ 2. महाराष्ट्र राज्य 3. वन मुख्य संरक्षक 4. नगर विकास मंत्रालय 5. डेयरी विकास आयुक्त 6. वन के प्रधान प्रमुख संरक्षक 7. एम सी जी एम नगरपालिका आयुक्त 8. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित	मुक़द्दमा धन से संबन्धित मुद्दो से संबन्धित नहीं है। अतः आकस्मिक देयता में शामिल करने की आवश्यकता नही है।
7	रॉयल पाम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटिड	मुक़द्दमा धन से संबन्धित मुद्दो से संबन्धित नहीं है। अतः आकस्मिक देयता में शामिल करने की आवश्यकता नही है।

8	उषा बोरगोआंकर बनाम बृहन्मुंबई महानगरपलिका	मुक़द्दमा धन से संबन्धित मुद्दो से संबन्धित नहीं है। अतः आकस्मिक देयता में शामिल करने की आवश्यकता नही है।
9	• चंद्रकांत राठोड अश्विनी • दविदाश चंद्रकांत राठोड • कुश लक्ष्मण राठोड • आकाश चंद्रकांत राठोड • शिवा लक्ष्मण राठोड • दविदाश लक्ष्मण राठोड • मनमीट ओमकार सिंह राठोड • रतनबाई शिव राठोड • अविनाश चंद्रकांत राठोड • अजय चंद्रकांत राठोड • भानुप्रसाद अभिराज मिश्रा • रतनबाई शिव राठोड • स्नेहल भानुप्रसाद मिश्रा • विश्वनाथ हई गुर्व बनाम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित	मुक़द्दमा धन से संबन्धित मुद्दो से संबन्धित नहीं है। अतः आकस्मिक देयता में शामिल करने की आवश्यकता नही है।

10	रिजेन्सी कोन्वेंशन सेंटर बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं अन्य	इस मामले में, उच्च न्यायालय ने एम एम आर सी को मध्यस्थ बनने की अनुमति दी है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि देने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, एम एम आर सी क्षतिपूर्ति कि भरपाई करेगी। आज तक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मामले का अंतिम फैसले न इंतजार करते हुए एम एम आर सी एल द्वारा अपेक्षित भूमि दे दी है। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा शेष हई। इसलिए, वित्तीय देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

19.8 आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर करों का निर्धारण अभिकलन तथा प्रकटीकरण मानकों की यथार्थता के उपरांत आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अधिकलित कर योग्य आय तथा जमा कर के आधार पर कर किया जाता है। कंपनी ने लेखांकन मानक 16 के अनुसार अर्जित ब्याज को लेखा खातों में शामिल किया है जबकि कार्यगत पूंजी के निकालने के बाद ब्याज आय की आय को अभिकलन हेतु राजसव में वापिस जमा किया गया है जोकि पूर्व शुद्ध लाभ के द्वारा आय कर देयता रु 523.96 लाख की यथार्तता हेतु रु 482.74 लाख दिखाया गया है।

19.9 **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में ली गई आय तथा कर योग्य आय, जो एक अवधि में शुरू होने तथा बाद की एक या एक से अधिक अवधियों में वापिस लेने के योग्य है के, बीच समय अंतर पर मान्यता दी जाती है। समय अंतर से प्रभावित अनवशोषित मूल्यह्रास या आगे ले जाए गए नुकसान या आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ या अन्य कोई मदों को तभी मान्यता दी गई है जब उस परिसंपत्ति की प्राप्ति का वास्तविक आभास हो।वर्ष के दौरान, आस्थगित कर आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मूल्यह्रास के अंतर से रु 5.27 लाख निकाला गया है।

19.10 प्रतिबद्धता

पूंजी तथा अन्य प्रतिबद्धता इस प्रकार है,

क्रम सं.	विवरण	रु लाखों में (कर को शामिल न करते हुए)
1	सिविल ठेकों से संबन्धित	16,85,754
2	सामान्य परामर्शदाता से संबन्धित	72,303
3	धारावी पुल से संबन्धित (सेवा कर को शामिल करते हुए)	438
4	सॉफ्टवेर विकास से संबन्धित	191
5	पट्टा करार से संबन्धित	2,565

19.11 पूंजी संचय

मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन मर्यादित से अनुदान

कंपनी ने 3 मेट्रो स्टेशनों, (i) सी एस आई ए टर्मिनल टी 1 टर्मिनल फोरकोर्ट (ii) सहर रोड (iii) छत्रपती शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमपट्टन, मुंबई पर सी एस आई ए टी 2 टर्मिनल फोरकोर्ट, की निधिकरण हेतु एम आई ए एल के साथ सहमति ज्ञापन का करार किया है

एम आई ए एल का योगदान मेट्रो रेल संचालन से संबन्धित सभी प्रणाली जैसे रेल प्रणाली, सुरंगन, संचालन से संबन्धित विद्युतीय एवं यांत्रिकीय, घर्षण, पटरी के काम, संकेतन तथा दूरसंचार, प्लैटफ़ार्म स्क्रीन दरवाजे (पी एस डी), रेल के डिब्बे, सुरंग वायु संचार, हाई वोल्टेज बिजली आपूर्ति, तथा रेलवे विद्युतीकरण, निरीक्षणात्मक डाटा नियंत्रण तथा डाटा प्राप्ति, स्वचालित किराया संग्रह(ए एफ सी) को शामिल करते हुए सहायक उप स्टेशन के अलावा केवल मेट्रो स्टेशनों के लिए बिल्डिंग सेवाएँ जैसे पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ई सी एस), बिजली आपूर्ति, प्रकाश, फायर डिटेक्शन एवं सेपरेशन प्रणाली इत्यादि को शामिल करते हुए पूर्ण वास्तु संबंधी तथा संरचनात्मक बिल्डिंग निर्माण और परिष्कार की लागत पर व्यय करना है।

एम आई ए एल से प्राप्य तथा प्राप्त राशि को दर्शाता विवरण निम्नलिखित है:

(रु लाखों में)

क्रम सं.	**वित्त वर्ष**	**गत वर्ष तक**	**चालू वर्ष 2016-17**	**कुल**
1	एम ओ यू के अनुसार प्राप्य	500	9,500	10,000

2	वास्तविक प्राप्त	500	5,500	6,000
3	शेष प्राप्य {1(-) 2}	**निरंक**	4,000	4,000

कंपनी ने दिनांक 24 मई 2017 को रु 4,000 लाख की राशि प्राप्त की है।

19.12 दीर्घावधि उधारी

(i) महाराष्ट्र सरकार से ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्राप्त दीर्घावधि उधारी रु 14,579 लाख (तुलन पत्र की तिथि के तत्पश्चात प्राप्त वर्ष 2016-17 से संबन्धित रु 9,**047** लाख को शामिल करते हुए) है।

(ii) जापान अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी (जिका) ने मूलधन के रुप में 71,000 मिलियन **JPY** विदेशी मुद्रा देने का वचन दिया है, भारत सरकार द्वारा संवितरित मूल राशि तथा बकाया राशि पर 1.40% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है जोकि समय समय पर बदल सकता है। यदि परियोजना के परामर्शदाताओं को भुगतान करने के लिए रिन का हिस्सा दिया जाता है तो उस पर 0.01% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

(iii) पी टी ए के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित को एम एम आर सी एल लाइन-3 के लिए दी गई कुल समेकित राशि रु 84,264 लाख (गत वर्ष रु10,664 लाख) है।

(iv) 20 सितम्बर तथा 20 मार्च को अर्धवार्षिक आधार पर जिका ऋण पर अभिकल्पित ब्याज को दीर्घावधि उधारी में समायोजित किया जाता है तथा शेष 11 दिन के लिए, ब्याज को अभिकल्पित किया गया है तथा तुलन पत्र में लघु अवधि प्रावधानों में अदेय प्रोद्भूत ब्याज के रूप में दर्शाया जाता है।

19.13 विशिष्ट बैंक नोट्स प्रकटीकरण (एस बी एन)

वर्ष के दौरान पर **08** नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक अवधि के दौरान रखे हुए तथा व्यवहार में लाये गए विशिष्ट बैंक नोट्स पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 31 मार्च 2017 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 308 (**E**) में दी गई सूचना के अनुसार कंपनी के पास विशिष्ट बैंक नोट्स थे।

अधिसूचना के अनुसार विशिष्ट बैंक नोट्स तथा अन्य नोट्स मूल्य का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

विवरण	**विशिष्ट बैंक नोट्स रु**	अन्य मूल्य नोट्स	कुल रु
08-11-2016 को नकद अंत राशि	7,000	0	7,000
(+) अनुज्ञप्त प्राप्तियाँ	0		0
(-) अनुज्ञप्त भुगतान	0		0
(-) बैंक में जमा की गई राशि	7,000	0	7,000
30-12-2016 को नकद अंत राशि	--------	--------	0

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट	विवरण
19.14	**सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उदयम के संबंध में 31 मार्च 2017 तक की सूचना** 31 मार्च 2017 तक सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम को कोई राशि देय नहीं थी।
19.15	संबन्धित दल प्रकटीकरण
19.15a	**संबन्धित दलों का विवरण :**

सम्बन्धों का विवरण	संबन्धित दल का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कर्मी	सुश्री अश्विनी भिड़े, प्रबंध निदेशक श्री अबोध खंडेलवाल (निदेशक वित्त) सुश्री रितु देब (कंपनी सचिव) श्री इंद्रनील सरकार, मुख्य वित्तीय अधिकारी
होल्डिंग एकक (50% शेयर होल्डिंग)	मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

नोट: संबन्धित दल प्रबंधन द्वारा पहचान किए गए हैं।
श्री अबोध खंडेलवाल (निदेशक वित्त) 29 मार्च 2017 को नियुक्त किए ग एथे।

19.15b **31 मार्च 2017 तक संबन्धित दलों की बकाया राशि का विवरण: (राशि लाख में)**

	मुख्य प्रबंधकीय कर्मी	मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के संबंधी	होल्डिंग एकक	कुल
वेतन				
वित्त वर्ष 16-17	55.15	-	-	55.15
वित्त वर्ष 15-16	46.26	-	-	46.26
वर्ष के अंत तक बकाया शेष				
-				
अल्पावधि उधारी				
वित्त वर्ष 16-17			6,871.39	6,871.39
वित्त वर्ष 15-16	-	-	6,544.45	6,544.45
	-	-	-	-

नोट: उपरोक्त सूचना कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पहचान की गई संबन्धित दलों की सूचना पर निर्धारित की गई है, जिस पर लेखापरीक्षा द्वारा विश्वास किया गया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

(राशि लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए Rs.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए Rs.
19.16	**प्रति शेयर आय (ए.एस. -20) के संबंध में प्रकटीकरण**		
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि	(46.49)	218.73
	कम: अधिमान लाभांश तथा उस पर कर	-	-
	इक्विटी से संबन्धित वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि	(46.49)	218.73
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	251.00	48.36
	प्रति शेयर आय-मूल	(0.19)	4.52
	प्रति शेयर आय- तनुकृत	-	-
19.17	चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के समरूप बनाने के लिए जहां आवश्यक है गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..
सनदी लेखाकार
फ़र्मपंजीकरणसं110504W

हस्ता/-

बी. एन. राव
भागीदार

सदस्यता क्रमांक039555

स्थान: मुंबई
तिथि : 24 जुलाई 2017

कृते बोर्ड निदेशक

हस्ता/-
अश्विनी भिड़े
प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)

हस्ता/-
रितु देब
कंपनी सचिव

अनुसंलग्नक II
कॉर्पोरेट सामाजिक गतिविधि/पहल पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार परियोजना का निरीक्षण या किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम तथा सी एस आर नीति और परियोजना या कार्यक्रम के वेब लिंक के संदर्भ को शामिल करते हुए कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की रूपरेखा का सारांश

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की सी आस आर नीति का मुख्य उद्देशय शिक्षा एवं कुशल विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा जैव विविधता, ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान देने के द्वारा संप्रदाय की वास्तविक देखभाल करना है। समाज के पिछड़ा वर्ग को उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करना भी इस उद्देशय का हिस्सा है। परियोजना का कार्य कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। सी एस आर नीति तथा कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम या परियोजना का विवरण कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

1. कंपनी के वेब पोर्टल पर निम्न लिंक **www.mmrcl.com** से भी सी एस आर नीतितक पहुंचा जा सकता है।

2. 31 **मार्च 2017 तक सी एस आर समिति के निम्न सदस्य हैं:**

श्री राहुल अस्थाना	समिति के अध्यक्ष
श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	सदस्य
सुश्री अश्विनी भिड़े	सदस्य

3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों का कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

वित्त वर्ष	**कर उपरांत लाभ**	**3 वर्षों का औसत**
2013-14	(4361845)	(5943393)
2014-15	(46740583)	
2015-16	33272248	
कुल	**(17830180)**	

4. **निर्धारित सी एस आर व्यय (राशि का 2%):निरंक**

5. **वर्ष के दौरान की गई सी एस आर गतिविधियों /परियोजनाओं का विवरण:**

   a) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि – निरंक

b) व्यय न की गई राशि (यदि कोई) – निरंक

c) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका नीचे दिया गया है:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	**सी एस आर परियोजना/गतिविधि**	**क्षेत्र**	**परियोजना/कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2. परियोजना/कार्यक्रम किए जाने वाले राज्य का नाम**	**परियोजना/कार्यक्रम अनुसार राशि का परिव्यय (बजट)**	**परियोजना/कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि** **उप शीर्ष:** 1. **परियोजना/कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय** 2. **ऊपरी खर्च**	**रेपोर्टिंग अवधि तक संचयित व्यय**	**व्यय की गई राशि : प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन ऐजंसी के माध्यम से***
लागू नहीं							

6. **पिछले 3 वर्षों में यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का 2% या इसका कुछ हिस्सा व्यय करने में असफल रही है तो बोर्ड रिपोर्ट में इसके व्यय न कर पैन ए का विवरण दें**

पिछले 3 वित्त वर्षों में हानि खातों में कंपनी की कोई सी एस आर देयता नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने चालू वर्ष में कोई सी एस आर व्यय नहीं किया है।

7. **सी एस आर समित द्वारा दायित्व विवरण है कि सी एस आर समिती के कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण सी एस आर उद्देशयों तथा कंपनी की नीति के अनुसार है।**

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति पुष्टि करती है कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण सी एस आर उद्देशयों तथा कंपनी की नीति के अनुसार किया जाएगा।

स्थान : दिल्ली — **हस्ता/-** **अध्यक्ष** — **हस्ता/-** **लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष**

तिथि : 24 जुलाई 2017

फॉर्म सं एमजीटी -11

प्रोक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में)

सी आई एन सं : 60100MH2008SGC181770
कंपनी का नाम : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
पंजीकृत कार्यालय : एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

सदस्य/सदस्यों का नाम	
पंजीकृत पता	
ई मेल पता	
फोलियो सं/ग्राहक पहचान सं	

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के सदस्य/सदस्यों होने के नाते,

1. नाम...
पता...
ई मेल पता...
हस्ताक्षर
(उसके फेल होने पर)...

2. नाम...
पता...
ई मेल पता...
हस्ताक्षर
(उसके फेल होने पर)...

3. नाम...
पता...
ई मेल पता...
हस्ताक्षर
(उसके फेल होने पर)...

कंपनी की दिनांक 23 सितम्बर 2017 , शनिवार को प्रातः 11.45 बजे कमेटी कक्ष , 9वीं मंजिल,

एमएमआरडीए बिल्डिंग,बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई- 400051 में आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए या मेरे/हमारे स्थान पर उपस्थित रहने तथा मत देने (मतदान में) हेतु मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप मे नियुक्त करता/करते हूँ/हैं।

हस्ताक्षरित .... 2017 के ....दिवस पर

राजस्व स्टम्प
चिपकाएँ

सदस्य के हस्ताक्षर

प्रोक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर

नोट: प्रोक्सी के इस फॉर्म को प्रभावपूर्ण होने के लिए , पूरा भरा हुआ होना चाहिए तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यलय में जमा बैठक के कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए ।

MMRC
JICA
maple

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

(भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)

एम एम आर डी ए बिल्डिंग, प्लॉट नं 14-15, बी के सी, बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051